
अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

झारखण्ड की रूपरेखा

झारखण्ड राज्य, जिसका गठन नवम्बर 2000 में बिहार राज्य के विभाजन के पश्चात् किया गया था, 79,714 वर्ग कि.मी. में फैला है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, यह देश का 15वाँ सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की जनसंख्या वर्ष 2001 के 2.69 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011 में 3.30 करोड़ हो गई जैसा कि **परिशिष्ट 1.1 भाग-ए** में दर्शाया गया है। अंतिम दस वर्षों (वर्ष 2003-04 से वर्ष 2012-13) के दौरान राज्य की जनसंख्या में वृद्धि 19.13 प्रतिशत थी। गरीबी सम्पूर्ण-भारत औसत के 21.92 प्रतिशत की तुलना में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशतता 40.4 प्रतिशत थी। वर्ष 2012-13 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 1,56,781 करोड़ थी। राज्य की साक्षरता दर 44 प्रतिशत (वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 67.63 प्रतिशत (वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार) हो गई। वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य का प्रति व्यक्ति आय ₹ 48,752 रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राज्य के भीतर दिये हुए समय में उत्पादित सरकारी तौर पर स्वीकृत समस्त सामग्रियों तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है जो राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर को दर्शाता है। वर्तमान मूल्य पर भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भारत का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	53,03,567	61,08,903	72,66,967	83,53,495	94,61,013
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.75	15.18	18.96	14.95	13.26
राज्य का स.रा.घ.उ. * (₹ करोड़ में)	87,794	1,00,621	1,25,824 (पी)	1,40,558 (क्यू)	1,56,781 (ए)
स.रा.घ.उ. का वृद्धि दर (प्रतिशत)	4.6	14.6	25.0	11.7	11.5

*स्रोत: अर्थव्यवस्था एवं सांख्यिकी निदेशक, झारखण्ड सरकार

पी =औपबंधिक अनुमान, क्यू =तीव्र अनुमान, ए=अग्रिम अनुमान

झारखण्ड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) के 14.5 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 2012-13 के दौरान 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत दो वर्षों के दौरान राज्य का स.रा.घ.उ. भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) की तुलना में कम था। तथापि, झारखण्ड के स.रा.घ.उ. का संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर

(सी.ए.जी.आर.) (15.5 प्रतिशत) वर्ष 2008-13 के दौरान सम्पूर्ण भारत के स.घ.उ. के सी.ए.जी.आर. (15.6 प्रतिशत) के लगभग बराबर था।

1.1 परिचय

यह अध्याय वर्ष 2012-13 के दौरान झारखण्ड सरकार के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में झारखण्ड सरकार के मुख्य राजकोषीय संचय में, पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है। यह विश्लेषण राज्य वित्त लेखे 2012-13 की लेखापरीक्षा तथा राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं रूपरेखा को **परिशिष्ट 1.1 भाग-बी** में तथा वित्त लेखे के अभिन्यास को **परिशिष्ट 1.1 भाग-सी** में दर्शाया गया है।

राज्य के राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति को **परिशिष्ट 1.2 भाग-ए** में दिया गया है। बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्य को **परिशिष्ट 1.2 भाग-बी** में दर्शाया गया है। पिछले पाँच वर्षों के राज्य सरकार के वित्त के कालबद्ध आँकड़े **परिशिष्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

1.1.1 वर्ष 2012-13 के राजकोषीय संचालन का सारांश

तालिका 1.1 वर्तमान वर्ष (वर्ष 2011-12) के साथ-साथ चालू वर्ष (वर्ष 2012-13) के दौरान राज्य सरकार के समग्र राजकोषीय लेन देन का सार प्रस्तुत करता है, जबकि **परिशिष्ट 1.4 पार्ट-ए** वर्ष 2012-13 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.1: 2012-13 के राजकोषीय संचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2011-12	2012-13	संवितरण	2011-12	2012-13		
खण्ड क: राजस्व					गैर योजना	योजना	कुल
राजस्व प्राप्तियाँ	22,419.45	24,769.56	राजस्व व्यय	20,991.58	15,656.61	7743.26	23,399.87
कर राजस्व	6953.89	8223.58	सामान्य सेवायें	7845.56	8474.55	221.94	8696.49
गैर कर राजस्व	3038.22	3535.63	सामाजिक सेवायें	7287.03	4238.37	4070.22	8308.59
संघीय कर एवं शुल्क का हिस्सा	7169.93	8188.14	आर्थिक सेवायें	5858.99	2943.69	3451.10	6394.79
भारत सरकार से अनुदान	5257.41	4822.21	सहायता अनुदान एवं अंशदान	—	—	—	—
खण्ड ख: पूँजीगत							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	—	—	पूँजीगत परिव्यय	3159.37	67.38	4151.05	4218.43

प्राप्तियाँ	2011-12	2012-13	संवितरण	2011-12	2012-13		
खण्ड क: राजस्व					गैर योजना	योजना	कुल
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	23.42	43.11	संवितरित की गई ऋण एवं अग्रिम	217.10	57.11	543.70	600.81
अंतर्राज्यीय परिशोधन	—	--	अंतर्राज्यीय परिशोधन	75.40	100.00	--	100.00
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	2671.22	5199.00	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1639.01	2183.06	--	2183.06
आकस्मिकता निधि में स्थानांतरण	—	--	आकस्मिक निधि से व्यय	--	--	--	--
लोक लेखा प्राप्तियाँ#	10,813.40	14,494.71	लोक लेखा संवितरण #	9727.77	13,416.31	--	13,416.31
आरंभिक रोकड़ शेष	(-)0.41	116.85	रोकड़ अंत शेष	116.85	704.75	--	704.75
कुल	35,927.08	44,623.23	कुल	35,927.08	32,185.22	12,438.01	44,623.23

स्रोत : वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के वित्त लेखे

*अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अधीन निवल लेन-देन को छोड़कर

#आँकड़े अन्य खाते जैसे कि नगद शेष निवेश के अंतर्गत लेन-देन को शामिल नहीं करते हैं

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन नीचे दिये गये हैं:

- पिछले वर्ष के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ में ₹ 2350 करोड़ (10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः कर राजस्व में ₹ 1270 करोड़ (18 प्रतिशत), कर-भिन्न राजस्व में ₹ 498 करोड़ (16 प्रतिशत) तथा संधीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश में ₹ 1018 करोड़ (14 प्रतिशत) तक बढ़ोतरी के कारण हुई जबकि पिछले वर्ष की तुलना में सहायता अनुदान में ₹ 436 करोड़ (आठ प्रतिशत) की कमी की गई।
- ते.वि.आ. द्वारा नियत किए गए कर-राजस्व (₹ 9544 करोड़) एवं कर-भिन्न राजस्व (₹ 3814 करोड़) के आदर्शी मूल्यांकन के विरुद्ध राज्य का वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियाँ क्रमशः ₹ 8224 करोड़ (86 प्रतिशत) एवं ₹ 3536 करोड़ (93 प्रतिशत) था। इस प्रकार दोनों मोर्चे पर यह ते.वि.आ. द्वारा नियत मानक प्रक्षेपण से कम था।
- सामान्य सेवाओं (₹ 850 करोड़), सामाजिक सेवाओं (₹ 1022 करोड़) और आर्थिक सेवाओं (₹ 536 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप राजस्व व्यय में ₹ 2408 करोड़ (11 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। तथापि, यह ₹ 27801 करोड़ के बजट अनुमान से कम था।
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में पूँजीगत व्यय में ₹ 1059 करोड़ (34 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई। वृद्धि मुख्यतः परिवहन विभाग के अन्तर्गत हुई।
- ऋण एवं अग्रिम की वसूली वर्ष 2011-12 के ₹ 24 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 43 करोड़ हुई।

- पिछले वर्ष की तुलना में लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 2528 करोड़ (95 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि इसके पुनर्भुगतान में ₹ 544 करोड़ (33 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- संवितरण में ₹ 3689 करोड़ (38 प्रतिशत) की वृद्धि के सापेक्ष लोक लेखा प्राप्तियों में ₹ 3682 करोड़ (34 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- इस लेन-देन का निवल प्रभाव के कारण पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2012-13 के अंत में रोकड़ शेष में ₹ 587.90 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

झारखण्ड सरकार ने राजकोषीय प्रचालन में वित्तीय स्थिरता, ऋण स्थिरता एवं वृहत्तर पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया। अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार के राजस्व घाटे को मार्च 2009 के अंत तक समाप्त करना था तथा राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के तीन प्रतिशत तक सीमित करना था। ते.वि.आ. ने राजकोषीय समेकन हेतु एक नये तथा पुनरीक्षित रोड मैप की सिफारिश की जिससे कि लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सभी अनुदानों एवं ऋण माफ करने की सुविधा को सम्बद्ध किया जा सके।

तदनुसार, राज्य ने एफ.आर.बी.एम. (संशोधन) अधिनियम, 2011 एवं 2012 के साथ-साथ मध्यावधि राजकोषीय योजना (एम.टी.एफ.पी.) में कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय लक्ष्यों को संशोधित किया। राज्य के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2011 एवं 2012 में निर्धारित किये गये संशोधित लक्ष्य (i) 31 मार्च 2012 के अन्त तक राजस्व घाटे को शून्य करना, (ii) 31 मार्च 2012 के अन्त तक राजस्व घाटे को स.रा.घ.उ. का तीन प्रतिशत करना और (iii) वर्ष 2012-13 में ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 27.8 प्रतिशत करना था।

तालिका 1.2: मुख्य राजकोषीय विचरण

(प्रतिशत में)

राजकोषीय विचरण	2012-13				
	राज्य के लिए तेरहवें वित्त आयोग का लक्ष्य	एफ.आर.बी.एम. के तहत लक्ष्य	बजट के तहत लक्ष्य	एम.टी.एफ.पी. के अनुमान	वास्तविक
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व आधिक्य	शून्य	शून्य	2.95	3.32	0.9
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	3.00	3.00	1.92	2.15	2.2
स.रा.घ.उ. से सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात	27.8	27.8	बजट में उपलब्ध नहीं	25.0	22.2

राज्य ने राजस्व घाटे से हटकर वर्ष 2006-07 में राजस्व घाटे को राजस्व आधिक्य (₹ 946 करोड़) में बदलते हुए एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया और सिवाय वर्ष 2009-10 के, जब राजस्व घाटा ₹ 10 करोड़ था, निरन्तर

सुधार करते हुए वर्ष 2012-13 में राजस्व आधिक्य ₹ 1370 करोड़ हुआ। तथापि, वर्ष 2012-13 में स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व अधिक्य का एम.टी.एफ.पी लक्ष्य तथा बजट अनुमान के अनुपात क्रमशः 2.95 प्रतिशत एवं 3.32 प्रतिशत को प्राप्त नहीं किया गया।

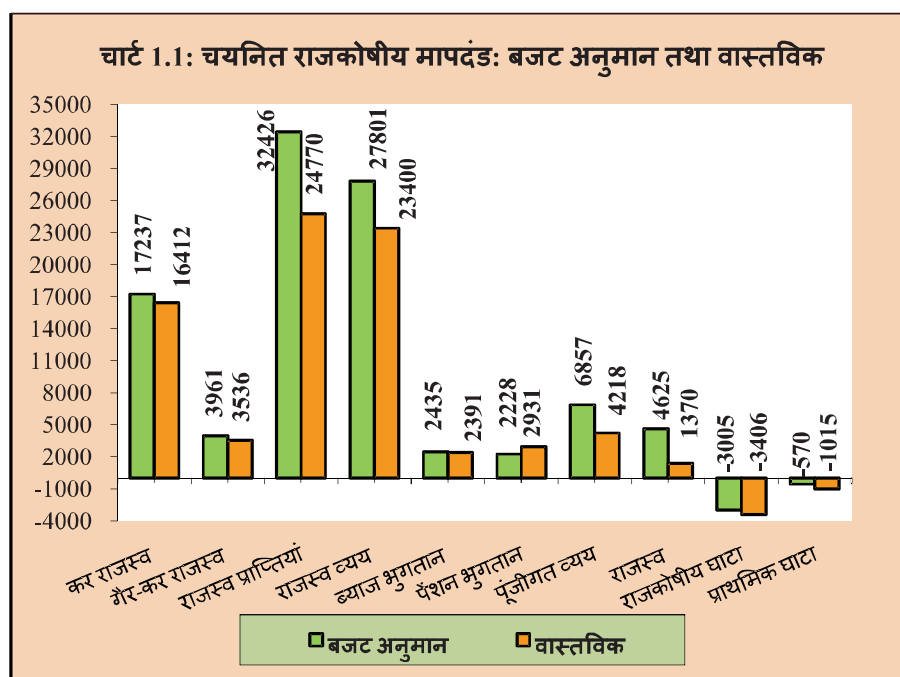
वर्ष 2012-13 के दौरान स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटे (₹ 3406 करोड़) की प्रतिशतता (2.2 प्रतिशत) ते.वि.आ. एवं एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुमानित सीमा तीन प्रतिशत के भीतर था। यह एम.टी.एफ.पी. लक्ष्य 2.15 प्रतिशत के सन्निकट था।

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य का ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 22.2 प्रतिशत था जो ते.वि.आ. तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के 27.8 प्रतिशत के अनुमान के काफी भीतर था। इस वर्ष ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात भी एम.टी.एफ.पी. के 25 प्रतिशत के लक्ष्य के काफी भीतर था।

1.1.3 बजट आकलन के साथ वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज किसी विशेष वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमानों या प्रयोजनों की विवेचना करता है। राजस्व एवं व्यय के अनुमान में शुद्धता के महत्व को समग्र आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीति को प्रभावकारी रूप से लागू करने के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमान से वास्तविक तथ्यों में विचलन कई कारणों से होते हैं, जो कई कारणों से इच्छित राजकोषीय लक्ष्य हेतु उत्कृष्ट कार्य नहीं करने को संकेतिक करते हैं।

चार्ट 1.1 वर्ष 2012-13 के लिए कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदंड के बजट अनुमान तथा वास्तविक का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।



उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि पेंशन भुगतान को छोड़कर, वास्तविक प्राप्तियाँ व व्यय वर्ष 2012-13 के राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमान से कम थी। वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में कमी (₹ 7656 करोड़) का मुख्य कारण राज्य बजट आकलनों के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान में अपेक्षाकृत कम राशि की प्राप्ति (₹ 6406 करोड़) थी। वर्ष 2012-13 के दौरान वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 4401 करोड़) में कमी का कारण सामाजिक सेवाओं (₹ 3302 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं (₹ 1238 करोड़) में किए गए वास्तविक व्यय में ह्रास होना था।

सामाजिक सेवाओं (₹ 837 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं (₹ 1669 करोड़) पर व्यय, जो बजट में निर्धारित था, कम होने के कारण राज्य का पूँजीगत व्यय बजट अनुमान से ₹ 2639 करोड़ कम था जो राज्य के लिये ध्यान देने की बात है।

1.1.4 लिंगानुपातिक (जेण्डर) बजट

बजट दस्तावेज के अनुसार यह पाया गया कि जेण्डर बजट को राज्य बजट में जोड़ा नहीं गया था। तथापि, राज्य के बजट भाषण तथा विनियोजन लेखों में यह पाया गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2012-13 के राज्य बजट में महिलाओं तथा लड़कियों के लिए प्रावधान किया है जिसका ब्यौरा नीचे वर्णित है:

तालिका 1.3 बजट प्रस्ताव तथा महिलाओं के लिए व्यय

स्कीम/योजना	बजट आकलन	व्यय	अभ्यर्पण
बिटिया वर्ष	2.00	शून्य	2.00
किशोरी शक्ति योजना	2.20	शून्य	2.20
किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम	57.54	8.85	48.69
इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना	9.00	3.09	5.91
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	15.00	12.83	2.17

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेख।

- राज्य सरकार ने वर्ष 2012 को 'बिटिया वर्ष' मनाने का निर्णय लिया, जिसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना नामक एक नई स्कीम की घोषणा की। तथापि, वर्ष 2012-13 के दौरान इस स्कीम हेतु प्रदत्त सम्पूर्ण बजट की राशि (₹ दो करोड़) को समर्पित कर दिया गया।
- वर्ष 2012-13 के दौरान किशोरी शक्ति योजना की ₹ 2.20 करोड़ के सम्पूर्ण बजट की राशि को समर्पित कर दिया गया।
- वर्ष 2012-13 के दौरान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हेतु बजटीय कुल ₹ 15.00 करोड़ की राशि में से ₹ 12.83 करोड़ व्यय हुआ था।

1.1.5 बजट के मुख्य नीति उद्गम

राजस्व में सुधार हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों की दरों का पुनरीक्षण किया। वित्त राज्यमंत्री के बजट भाषण के अनुसार इस संदर्भ में निम्नलिखित कदम उठाए गए :

- राज्य में वैट के दर को 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया जिससे राजस्व प्राप्तियों में ₹ 150 करोड़ की वृद्धि का अनुमान किया गया।
- पेशा कर को लागू कर ₹ 50 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान किया गया है।
- निजी नर्सिंग होम, शॉपिंग मॉल आदि पर विद्युत सेवा 20 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित किया जाना था जिससे ₹ 20 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति का अनुमान किया गया।
- वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 50 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हेतु तम्बाकू उत्पादों पर कर को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तथा तम्बाकू उत्पादों के संवेदकों पर टी.डी.एस. को दो प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया गया।

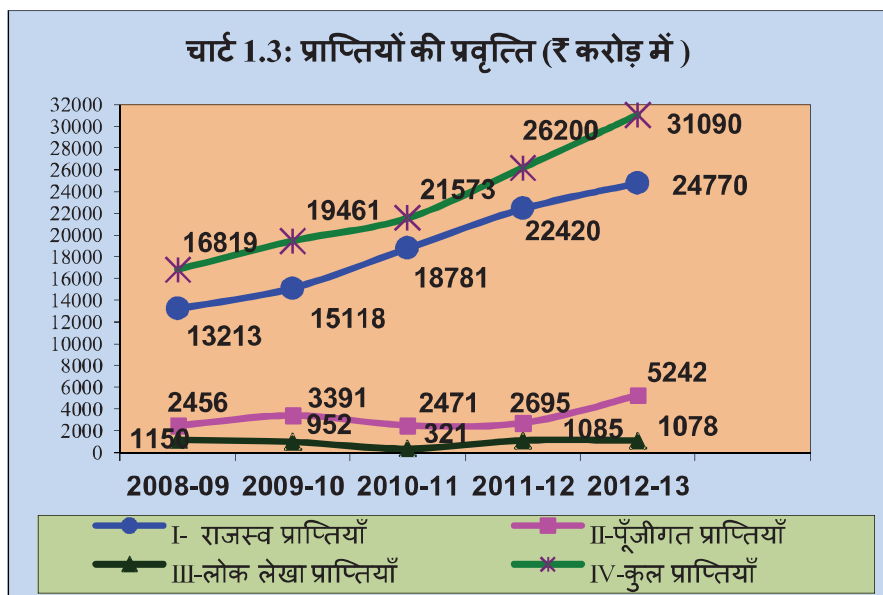
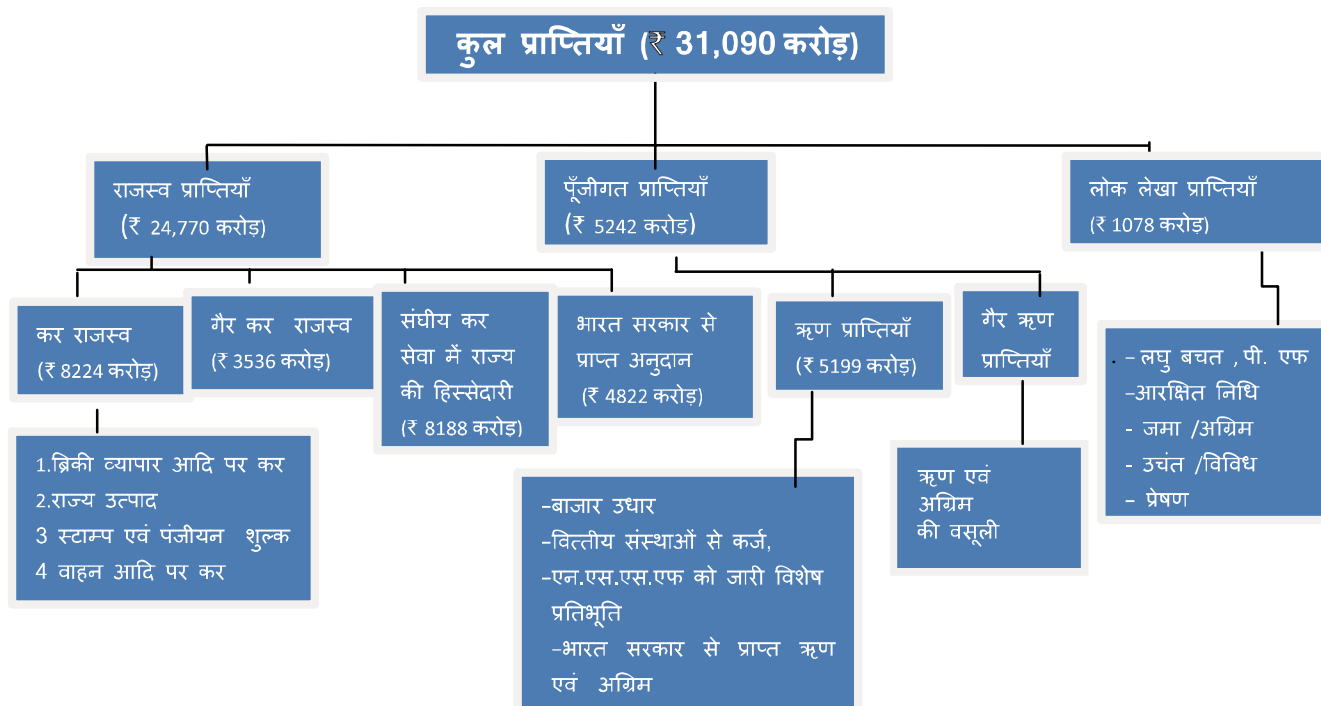
1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व और पूँजीगत, प्राप्तियों के दो प्रवाह हैं जो राज्य सरकार के संसाधन हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा- विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संवितरण के पश्चात् लोक खाते में उपलब्ध राशि का उपयोग सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए भी किया जाता है। तालिका 1.1 (पृष्ठ सं. 3) चालू वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरण को प्रस्तुत करता है जैसा कि वार्षिक वित्त लेखे में वर्णित है जबकि, चार्ट 1.2 वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों की प्रवृत्ति को चित्रित करता है एवं चार्ट 1.3 वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के संसाधन की संरचना को चित्रित करता है।

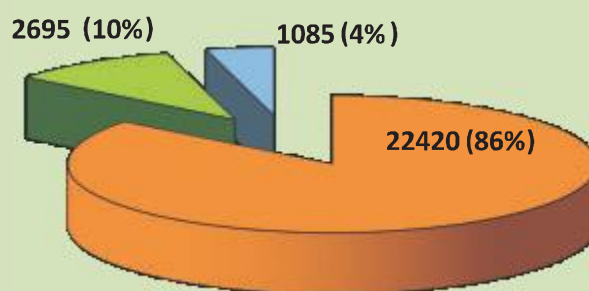
नीचे फ्लो चार्ट के माध्यम से संसाधनों के घटक तथा उप-घटक को दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2 : संसाधनों के घटक तथा उप-घटक



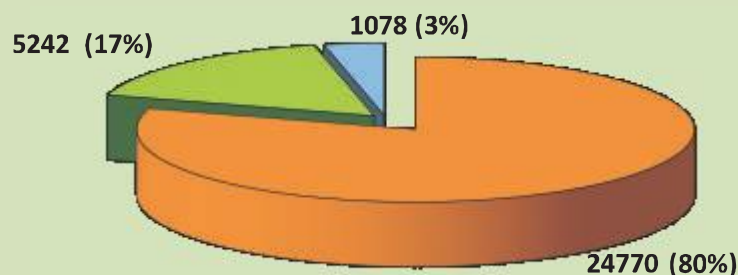
चार्ट 1.4 एवं चार्ट 1.5 क्रमशः वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को चित्रित करते हैं।

चार्ट 1.4: वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्तियों का संयोजन
(₹ करोड़ में)



■ राजस्व प्राप्तियाँ ■ पूँजीगत प्राप्तियाँ ■ लोक लेखा प्राप्तियाँ

चार्ट 1.5: वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्तियों का संयोजन
(₹ करोड़ में)



■ राजस्व प्राप्तियाँ ■ पूँजीगत प्राप्तियाँ ■ लोक लेखा प्राप्तियाँ

- राज्य की कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2008-09 के ₹ 16,819 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 31,090 करोड़ हो गयीं। कुल प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 के दौरान 19 प्रतिशत थी।
- वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों की हिस्सेदारी 78 प्रतिशत से 87 प्रतिशत के बीच चलायमान रही। पूँजीगत प्राप्तियों में तुलनात्मक उच्चतर वृद्धि के कारण यह वर्ष 2010-11 के 87 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 86 प्रतिशत तथा वर्ष 2012-13 में 80 प्रतिशत हो गई।
- ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (पूँजीगत प्राप्तियों से ऋण एवं अग्रिम को घटाकर) वर्ष 2008-09 के ₹ 2437 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 5199 करोड़ हो गयीं। आंतरिक ऋण में 91 प्रतिशत की वृद्धि के कारण पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2012-13 के दौरान ऋण-पूँजीगत प्राप्तियों में 95 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2008-13 के दौरान ऋण-पूँजीगत प्राप्तियाँ का सी.ए.जी.आर. की 20.9 प्रतिशत था।

- शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ वर्ष 2011-12 के ₹ 1150 करोड़ (कुल प्राप्तियों का चार प्रतिशत) से घटकर वर्ष 2012-13 में ₹ 1078 करोड़ (कुल प्राप्तियों का तीन प्रतिशत) हो गयी।

1.2.2 राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित निधि

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों, जिसे विषम के रूप में पहचान की गई, में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों¹ को केन्द्र सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में निधि प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई। वर्तमान प्रक्रिया में यह निधि राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से नहीं गुजरती है। इस प्रकार, इन निधियों के व्यय का जिक्र राज्य के वित्त लेखे में नहीं किया गया है। अतः वार्षिक वित्तीय लेखे राज्य के संसाधनों का सम्पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते हैं। कुल संसाधनों की उपलब्धता का संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए, राज्य अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई राशि को तालिका 1.4 में दिखाया गया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 2621.91 करोड़ की केन्द्रीय राशि प्रत्यक्ष रूप से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित किया गया। भारत सरकार द्वारा सहायक कार्यक्रमों जिसकी राशि हस्तांतरित की गई एवं संबंधित राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तालिका 1.4 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.4: राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई राशि

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित राशि	
		2011-12	2012-13
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	917.77	0.00
	झारखण्ड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद	0.00	809.17
इंदिरा आवास योजना	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	215.48	138.27
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यालय	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	84.67	10.23
सर्व शिक्षा अभियान	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद	579.03	561.84
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन: स्वास्थ्य शिक्षा एवं संसार के लिए मानव संसाधन	(i) झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संस्था, टी.बी. नियंत्रण संस्था एवं अंधापन	609.65	281.32

¹ राज्य में विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत वैसे संगठन, (संस्थान, गैर- सरकारी संगठन सहित, जो भारत सरकार से निधि प्राप्त करते हैं, राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में सम्मिलित हैं। जैसे एस. एस. ए. के लिए राज्य कार्यान्वयन संख्याएन- आर.एच.एम. के लिए राज्य स्वास्थ्य मिशन।

(₹ करोड़ में)

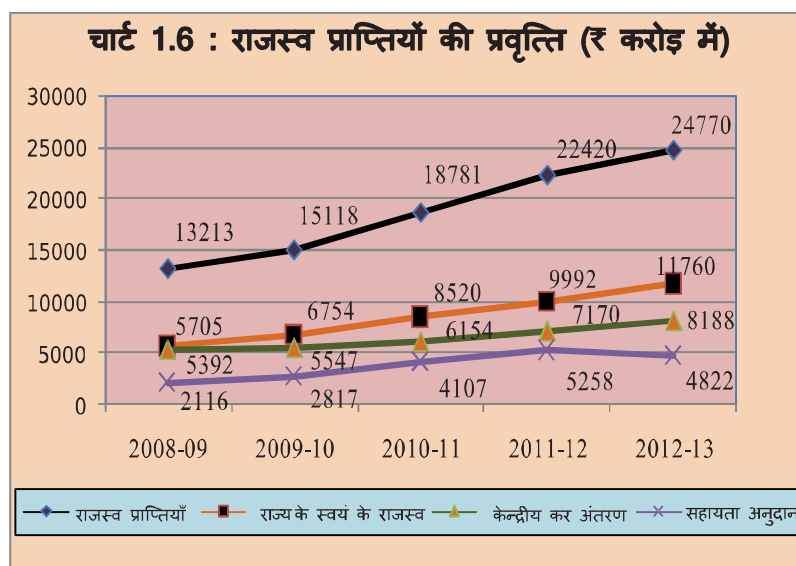
कार्यक्रम/योजना	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित राशि	
		2011-12	2012-13
	नियंत्रण संस्था (ii) झारखण्ड एड्स नियंत्रण संस्था		
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता योजना	झारखण्ड राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन	220.82	307.23
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिला अधिकारी	69.00	88.50
गैर सरकारी संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ	गैर सरकारी संस्थाएं एवं अन्य संस्थाएं	1498.00	425.35
कुल		4194.42	2621.91

स्रोत: वित्त लेखे का परिशिष्ट VII

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार से राशियों का प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरण होने के कारण इन अभिकरणों द्वारा निधियों के अनुचित उपयोग के जोखिम जारी रखा। जब तक इन सभी अभिकरणों द्वारा राज्य सरकार तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड को व्यय का ससमय प्रतिवेदन एवं उचित दस्तावेज के साथ समरूप रेखांकन पद्धति का अनुसरण नहीं किया, तब तक प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित ऐसी राशियों के पूर्ण उपयोग का अनुश्रवण मुश्किल होगा।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण-11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों की विवेचना करता है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर, कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2008-13 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के संघटन और प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट 1.3** में दिखाया गया है एवं **चार्ट 1.6** में भी चित्रित किया गया है।



- वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष के सापेक्ष 10.48 प्रतिशत बढ़ी। तथापि, बजट अनुमान की तुलना में, राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 7656 करोड़ कम थी। वर्ष 2008-13 के दौरान राजस्व प्रप्तियों का सी.ए.जी.आर. 17.0 प्रतिशत था।
- वर्ष 2008-11 के दौरान स्वयं का कर, कर-भिन्न राजस्व से दोगुना था जो वर्ष 2011-13 के दौरान बढ़कर 2.3 गुना हो गया।
- वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्रीय कर हस्तांतरण तथा भारत सरकार के सहायता अनुदान से कुल राजस्व प्राप्तियों का 53 प्रतिशत प्राप्त हुआ जबकि राज्य के स्वयं के संसाधनों का योगदान शेष 47 प्रतिशत रहा।
- वर्ष के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 24,770 करोड़) में राज्य के स्वयं के कर (ओ.टी.आर.) ₹ 8224 करोड़ (33 प्रतिशत), कर-भिन्न राजस्व (एन.टी.आर.) ₹ 3536 करोड़ (14 प्रतिशत), केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.) ₹ 8188 करोड़ (33 प्रतिशत) और सहायता अनुदान ₹ 4822 (20 प्रतिशत) सम्मिलित था। पिछले वर्ष की अपेक्षा ओ.टी.आर., एन.टी.आर. तथा सी.टी.टी. के तहत में प्राप्तियों में क्रमशः 18 प्रतिशत, 16 प्रतिशत, तथा 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि सहायता अनुदान के तहत प्राप्त राशि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान घटकर 8 प्रतिशत कम हो गई।

स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5 स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	13,213	15,118	18,781	22,420	24,770
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.9	14.4	24.2	19.4	10.5
आर.आर./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	15.1	15.0	14.9	16.0	15.8
राज्य के स्वयं के कर/स.रा.घ.उ.	4.3	4.5	4.5	4.9	5.2
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	4.6	14.6	25.0	11.7	11.5
उत्प्लावकता अनुपात²					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	2.15	0.99	0.97	1.66	0.91
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावकता	1.74	1.36	1.08	1.85	1.59
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.24	0.72	0.90	0.90	0.57

- राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में वर्ष 2008-09 के 9.9 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2010-11 में 24.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तथापि, यह वर्ष 2011-12

² आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को उत्प्लावकता अनुपात इंगित करता है। जैसे- राजस्व उत्प्लावकता 0.6 का मतलब है कि यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत तक बढ़ेंगी।

के दौरान घटकर 19.4 प्रतिशत तथा वर्ष 2012-13 के दौरान 10.5 प्रतिशत हो गई।

- स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता वर्ष 2008-13 के दौरान 0.91 तथा 2.15 के बीच चलायमान रही। राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (9.9 प्रतिशत) की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (4.6 प्रतिशत) निम्न स्तर पर रहने के कारण यह वर्ष 2008-09 में उच्चतम स्तर (2.15 प्रतिशत) पर था। वर्ष 2012-13 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर स.रा.घ.उ. की तुलना में तेजी से घटी जिसके कारण राजस्व उत्प्लावकता वर्ष 2011-12 के 1.66 से गिरकर वर्ष 2012-13 में 0.91 हो गई।
- स्वयं के कर राजस्व तथा स.रा.घ.उ. दोनों की वृद्धि दर में व्यापक विचलन के कारण स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावकता में वर्ष 2008-13 के दौरान 1.08 और 1.85 के बीच तक का अंतर देखा गया। उत्प्लावकता वर्ष 2008-09 के 1.24 से घटकर वर्ष 2009-10 में 0.72 हो गई, पुनः वर्ष 2010-11 तथा वर्ष 2011-12 में 0.90 की वृद्धि हुई। तथापि, पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के स्वयं के कर के वृद्धि दर में कमी के कारण यह अपने निम्नतम स्तर 0.57 पर था जबकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर समान थी।
- वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 के दौरान झारखण्ड के स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर में 4.6 प्रतिशत से 25.0 प्रतिशत तक का वृहत् अन्तर दर्ज किया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान स.रा.घ.उ. 11.5 प्रतिशत बढ़ा। तथापि स.रा.घ.उ. का सी.ए.जी.आर. 15.5 प्रतिशत था।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय करों और सहायता अनुदानों में राज्य का हिस्सा निर्धारित होता है, संसाधनों को बढ़ाने हेतु राज्य के निष्पादन को राज्य के अपने संसाधन, जिसमें स्वयं के कर तथा अन्य कर-भिन्न स्रोत शामिल हैं के रूप में मूल्यांकित किया गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों के साथ-साथ 13 वें वित्त आयोग तथा मध्य अवधि राजकोषीय योजना (एम.टी.एफ.पी.) के मूल्यांकन को तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6 कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	13वें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान	एम. टी. एफ. पी. अनुमान	वास्तविक
कर राजस्व	9543.88	8734.49	8466 (स.रा.घ.उ. का 5.4 प्रतिशत)	8223.58
कर-भिन्न राजस्व	3814.44	3608.66	3136 (स.रा.घ.उ. का 2 प्रतिशत)	3535.63

वर्ष 2012-13 के दौरान, ते.वि.आ. के सामान्य अनुमान ₹ 9544 करोड़ तथा एम.टी.एफ.पी. के लक्ष्य ₹ 8446 करोड़ के विरुद्ध राज्य के स्वयं के कर राजस्व का संग्रहण ₹ 8224 करोड़ था। लक्ष्य प्राप्त नहीं करने का मुख्य कारण बजट आकलन से बिक्री कर एवं राज्य उत्पाद का कम संग्रहण था। इस वर्ष के दौरान इन शीर्षों के अंतर्गत अनुमानित बजट क्रमशः ₹ 6650 करोड़ तथा ₹ 700 करोड़ के विरुद्ध क्रमशः ₹ 6422 करोड़ तथा ₹ 578 करोड़ का वास्तविक संग्रहण हुआ।

वर्ष 2012-13 में स.रा.घ.उ. से स्वयं के कर का अनुपात (5.2 प्रतिशत) महत्वपूर्ण रूप से ते.वि.आ. के अनुमान 6.50 प्रतिशत तथा एम.टी.एफ. पी. के लक्ष्य 5.4 प्रतिशत से कम था।

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य का कर-भिन्न राजस्व (₹ 3536 करोड़) ते.वि.आ. के अनुमान ₹ 3818 करोड़ से कम था, लेकिन एम.टी.एफ.पी. के लक्ष्य ₹ 3136 करोड़ से अधिक था।

1.3.1.1 कर राजस्व

तालिका 1.7 में मुख्य करो तथा शुल्कों के कुल संग्रहण को दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	पिछले वर्ष की तुलना में 2012-13 में प्रतिशत वृद्धि
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2996	3597	4473	5522	6422	16.30
राज्य उत्पाद	205	323	388	457	578	26.48
वाहनों पर कर	202	234	312	392	465	18.62
स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	192	238	328	401	492	22.69
भूमि राजस्व	53	41	131	53	96	81.13
यात्रियों तथा सामाग्री पर कर	54	13	21	41	1	(-)97.56
अन्य कर	51	54	64	88	170	93.18
कुल कर राजस्व	3753	4500	5717	6954	8224	18.26

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

राज्य का कर राजस्व वर्ष 2008-09 के ₹ 3753 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 8224 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में इसमें 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य के कर राजस्व का सी.ए.जी.आर. वर्ष 2008-13 के दौरान 21.7 प्रतिशत रहा। वर्ष 2012-13 में कुल कर राजस्व में बिक्री कर का योगदान 78 प्रतिशत रहा, जिसके बाद राज्य उत्पाद कर (सात प्रतिशत) स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क (छः प्रतिशत) तथा वाहन कर (छः प्रतिशत) का योगदान रहा।

वाणिज्य कर विभाग ने वर्ष 2012-13 में वैट/बिक्री कर के कर राजस्व में वृद्धि के लिए वैट की दरों में संशोधन/वृद्धि तथा प्रभावी कर प्रशासन की अनुशंसा की। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में राज्य उत्पाद कर में वृद्धि का कारण खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती तथा विभिन्न प्रकार के शुल्कों की दरों में वृद्धि को बताया गया। इस प्रकार, वर्ष 2012-13 में स्टाम्प तथा निबंधन शुल्क तथा वाहन कर में वृद्धि का कारण क्रमशः जमीन-जायदाद के मूल्य में वृद्धि तथा निबंधित वाहनों की संख्या में वृद्धि को बताया गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान स्थानीय क्षेत्रों में सामान के प्रवेश पर कर की कम वसूली (₹ 40 करोड़) के कारण पिछले वर्ष की तुलना में सामग्री तथा यात्रियों पर कर के संग्रहण में 97.56 प्रतिशत की कमी हुई।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

ते.वि.आ. के मानक ₹ 3814 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2012-13 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व ₹ 3536 करोड़ था। कर-भिन्न राजस्व की घटक-वार स्थिति को तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: कर भिन्न राजस्व की घटक-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ब्याज प्राप्तियाँ	109.53	153.20	98.74	44.16	72.23
लाभांश एवं लाभ*	0.00	0.00	0.40	1.17	15.00
अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	1842.20	2100.95	2703.75	2992.89	3448.40
कुल	1951.73	2254.15	2802.89	3038.22	3535.63

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

*लाभांश एवं लाभ वर्ष 2008-10 के दौरान शून्य था।

वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 के दौरान कर-भिन्न राजस्व (एन.टी.आर.), राजस्व प्राप्तियों का 15 प्रतिशत रहा। तथापि, राजस्व प्राप्तियों में इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 दोनों में 14 प्रतिशत रही। मुख्य रूप से खनन तथा धातुकर्मी उद्योगों में अधिक संग्रहण (₹ 480 करोड़) के कारण पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में एन.टी.आर. में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2008-13 के दौरान कर-भिन्न राजस्व का सी.ए.जी.आर. 16.0 प्रतिशत रहा।

1.3.2 भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान

गैर-योजना, राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित तथा केन्द्रीय योजना स्कीमों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदानों के विमोचन की प्रवृत्ति तालिका 1.9 में दर्शायी गई हैं:

तालिका 1.9: भारत सरकार द्वारा विमोचित घटक-वार अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
गैर-योजना अनुदान	591.91	1145.33	1281.40	1550.77	1483.41
राज्य योजना के लिए अनुदान	1054.18	982.97	1826.99	2404.61	2393.94
केन्द्रीय योजना के तहत अनुदान	31.22	55.05	8.62	66.87	30.81
केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	438.57	633.28	990.24	1235.16	914.05
कुल	2115.88	2816.63	4107.25	5257.41	4822.21
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	15	33	46	28	(-)8
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशतता के रूप में कुल अनुदान	16.01	18.63	21.87	23.45	19.47

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- वर्ष 2012-13 के दौरान, भारत सरकार से ₹ 4822.21 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ जो वर्ष 2011-12 के ₹ 5257.41 करोड़ से (आठ प्रतिशत) कम था।
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में गैर-योजना अनुदान, राज्य योजना अनुदान, केन्द्रीय योजना स्कीम तथा केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदानों में क्रमशः ₹ 67.36 करोड़ (4.34 प्रतिशत), ₹ 10.67 करोड़ (0.44 प्रतिशत), ₹ 36.06 करोड़ (53.92 प्रतिशत) तथा ₹ 321.11 करोड़ (26 प्रतिशत) की कमी हुई।
- भारत सरकार से प्राप्त गैर-योजना अनुदान वर्ष 2011-12 के ₹ 1550.27 करोड़ से घटकर वर्ष 2012-13 में ₹ 1483.41 करोड़ हो गया क्योंकि वर्ष 2011-12 के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर के फेजिंग आउट के कारण हुये राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के अन्तर्गत राज्य सरकार को अनुदान प्राप्त हुआ था।
- वर्ष 2012-13 में राज्य योजना अनुदान वर्ष 2011-12 में प्राप्त अनुदान के लगभग बराबर ही था।
- ऋण समेकन एवं राहत सुविधा के तहत वर्ष 2012-13 में राज्य को कोई ऋण राहत प्राप्त नहीं हुआ।

1.3.3 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

वर्ष 2011-12 के ₹ 7170 करोड़ के विरुद्ध केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.) वर्ष 2012-13 में ₹ 8188 करोड़ रहा। पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में राज्य के केन्द्रीय कर हस्तांतरण में ₹ 1018 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि

मुख्यतः निगम कर (₹ 119 करोड़), निगम कर के अलावे आय-कर (₹ 327 करोड़), सीमा शुल्क (₹ 118 करोड़) तथा सेवा कर (₹ 340 करोड़) के अंतर्गत हुई। सी.टी.टी. वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 33 प्रतिशत थी।

1.3.4 13वें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग

तेरहवें वित्त आयोग ने झारखण्ड सरकार को अपने विभिन्न विभागों के कार्यों में सुधार हेतु अनुदान की सिफारिश की। उन अनुदानों में से कुछ अनुदानों की वित्तीय स्थिति तालिका 1.10 में दी गयी है:

तालिका 1.10: 13वें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अन्तरण	13वें वित्त आयोग के सिफारिश से प्राप्त राशि	संबद्ध लेखा शीर्ष के तहत व्यय	अप्रयुक्त राशि
1	गृह विभाग	74.50	74.50	0.00
2	वित्त संस्थागत तथा कार्यक्रम अनुपलन विभाग	23.28	0.00	23.28
3	श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	50.00	47.25	2.75
4	कानून विभाग	40.47	4.96	35.51
5	झारखण्ड उच्च न्यायालय	0.40	0.09	0.31
6	योजना एवं विकास विभाग	9.60	0.00	9.60
7	आपदा प्रबंधन विभाग	291.04	279.24	11.80
8	ग्रामीण विकास विभाग	37.13	37.13	0.00
9	शहरी विकास विभाग	90.60	33.48	57.12
10	जल संसाधन विभाग	24.67	0.00	24.67
11	लघु सिंचाई विभाग	2.33	0.00	2.33
12	खेल, कला, संस्कृति एवं युवा मामलों का विभाग	9.00	9.00	0.00
13	ग्रामीण कार्य विभाग	79.00	72.08	6.92
14	पंचायती राज	357.70	361.96	-4.26
15	प्राथमिक एवं लोक शिक्षा	308.00	308.00	0.00
16	समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	108.00	108.01	-0.01
	कुल	1505.72	1335.70	170.02

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे

इस प्रकार उपरोक्त तालिका 1.10 से देखा जा सकता है कि ते.वि.आ. की सिफारिशों के तहत झारखण्ड सरकार को प्राप्त अनुदान की कुल बजटीय राशि (₹ 1505.72 करोड़) में से वर्ष 2012-13 के अन्त तक ₹ 1335.70 करोड़ खर्च की गई तथा ₹ 170.02 करोड़ अप्रयुक्त रही। योजना-वार ब्यौरे परिशिष्ट 1.5 में दिये गये हैं।

1.3.5 त्यक्त राजस्व

1.3.5.1 करों की कम उगाही, उगाही नहीं एवं कम निर्धारण

वर्ष 2012-13 के दौरान बिक्री, व्यापार इत्यादि कर, राज्य उत्पाद कर, भूमि राजस्व, वाहन कर, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, बिजली तथा खनन प्राप्तियों पर शुल्क एवं कर की 130 इकाईयों के दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान, हमने ₹ 1532.94 करोड़ से संबंधित कम उगाही, उगाही नहीं एवं कम निर्धारण के 25,784 मामले पाये। वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग ने ₹ 568.52 करोड़ के 21,063 मामलों को स्वीकार किया। इसी अवधि के दौरान विभाग ने 1024 मामलों (पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा अवलोकन के विरुद्ध वसूली के साथ) में ₹ 702 करोड़ की वसूली को प्रभावित किया।

1.3.5.2 बकाया राजस्व

31 मार्च 2013 तक चार विभागों (वित्त (वाणिज्य कर), राज्य उत्पाद, वाहन कर तथा खनन एवं भू-विज्ञान विभाग) में ₹ 2986.09 करोड़ की बकाया राजस्व की राशि में से ₹ 1343.30 करोड़ की राशि पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी। राजस्व बकाये का मुख्य भाग वित्त (वाणिज्यिक कर) विभाग (₹ 1940.85 करोड़) और खनन तथा भू-विज्ञान विभाग (₹ 763.17 करोड़) से संबंधित था।

31 मार्च 2013 तक कुल राजस्व बकाया राज्य के कुल राजस्व का 12 प्रतिशत तथा वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के स्वयं के संसाधन का 25 प्रतिशत था।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राज्य की राजस्व प्रप्तियों के अलावे, राज्य पूँजीगत प्राप्तियाँ भी प्राप्त करता है जिसमें विनिवेश से प्राप्तियाँ, सरकार द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम की वसूली, वित्तीय संस्थाओं से सरकार का आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल है। पूँजीगत प्रप्तियों का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: प्राप्तियों की संरचना तथा वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य के प्राप्तियों के स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पूँजीगत प्राप्तियाँ (सी.आर.)	2456	3391	2471	2695	5242
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	19	22	24	24	43
लोक ऋण प्राप्तियाँ	2437	3369	2447	2671	5199
पूँजीगत ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	20.5	38.2	(-)27.4	9.2	94.6
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)56.8	15.6	9.1	0.0	79.2
स.रा.घ.उ. का वृद्धि दर	4.6	14.6	25.0	11.7	11.5
पूँजीगत प्राप्तियों का वृद्धि दर (प्रतिशत)	18.8	38.1	(-)27.1	9.1	94.5

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2012-13 के दौरान, लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि के कारण वर्ष 2011-12 के ₹ 2695 करोड़ के सापेक्ष पूँजीगत प्राप्तियों में ₹ 5242 करोड़ की वृद्धि हुई। आगे, बाजार ऋण में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण लोक ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2011-12 के ₹ 1254 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 3600 करोड़ हो गई। गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि झारखण्ड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ₹ 19.75 करोड़ की वसूली के कारण हुआ। ऋण तथा गैर- ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण राज्य के पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

वित्त लेखे के अनुसार वर्ष 2012-13 के दौरान विनिवेश से आय 'शून्य' था।

1.4.1 ऋण एवं अग्रिम से वसूली

दिए गए ऋण एवं अग्रिम की तुलना में वसूली काफी कम रही। विगत पाँच वर्षों में प्राप्त वसूली एवं दिए गए ऋण का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.12: ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ऋणों का आरंभिक शेष	6016	6415	6713	6997	7190
दिया गया ऋण की गई वसूली	418	320	308	21	601
ऋणों का अंतिम शेष	19	22	24	24	43
	6415	6713	6997	7190	7748

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) प्रत्येक वर्ष सबसे अधिक ऋण एवं अग्रिम प्राप्त करने वाला मुख्य प्राप्तकर्ता था परन्तु, इसके विरुद्ध कोई वसूली नहीं की गई जिससे जे.एस.ई.बी. के विरुद्ध बकाया की राशि ₹ 7125.21 करोड़ हो गई। प्रत्येक

वर्ष प्राप्त किया गया पुनर्भुगतान मुख्य रूप से सरकारी सेवकों को दी गई ऋण एवं अग्रिम के विरुद्ध था। वर्ष 2008-13 दौरान दिये गये ऋण तथा ऋण के अंतिम शेष का सी.जी.ए.आर. क्रमशः 9.5 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत था।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

संसाधनों के अंतर तथा पूँजीगत खर्च को पूरा करने के लिए राज्य ने आंतरिक बाजार से निधि प्राप्त की। आंतरिक बाजार उधार वर्ष 2008-09 के ₹ 2434 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 4960 करोड़ हो गया। वर्ष 2012-13 के दौरान आंतरिक कर्ज में मुख्य योगदान बाजार ऋण (₹ 3600 करोड़) तथा कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से प्राप्त ऋण (₹ 750 करोड़) का था। वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया अर्थोपाय अग्रिम ₹ 369 करोड़ था।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम

भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम वर्ष 2008-09 के ₹ तीन करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2009-10 में घटकर (-) ₹ 10 करोड़ की हो गई जो पुनः वर्ष 2010-11 में बढ़कर ₹ 132 करोड़ हो गयी। वर्ष 2011-12 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में पुनः ₹ 33 करोड़ की कमी हुई जो वर्ष 2012-13 में पुनः बढ़कर ₹ 239 करोड़ हो गयी। भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम मुख्यतः राज्य योजनाओं के लिए प्राप्त किये गये। वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्रीय योजना तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए नया ऋण प्राप्त नहीं हुआ।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

विशेष प्रकार के लेन-देन यथा - लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं तथा जो राज्य के विधानमंडल के वोट का विषय नहीं होते हैं, के संदर्भ में प्राप्तियाँ तथा संवितरण लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं। यहाँ सरकार साहूकार/महाजन का कार्य करती है। संवितरण के पश्चात् सरकार के पास उपलब्ध शेष निधि सरकार के उपयोग के लिए होती है। तालिका 1.13 में लोक लेखा प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: लोक लेखा प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के तहत संसाधन	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
लोक लेखा प्राप्तियाँ	8335	8242	7721	10813	14495
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	584	687	572	613	668
आरक्षित निधि	86	489	शून्य	138	280
जमा तथा अग्रिम	4250	4150	3670	5236	8706
उचत तथा विविध	96	204	181	306	199
प्रेषण	3319	2612	3298	4520	4642

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

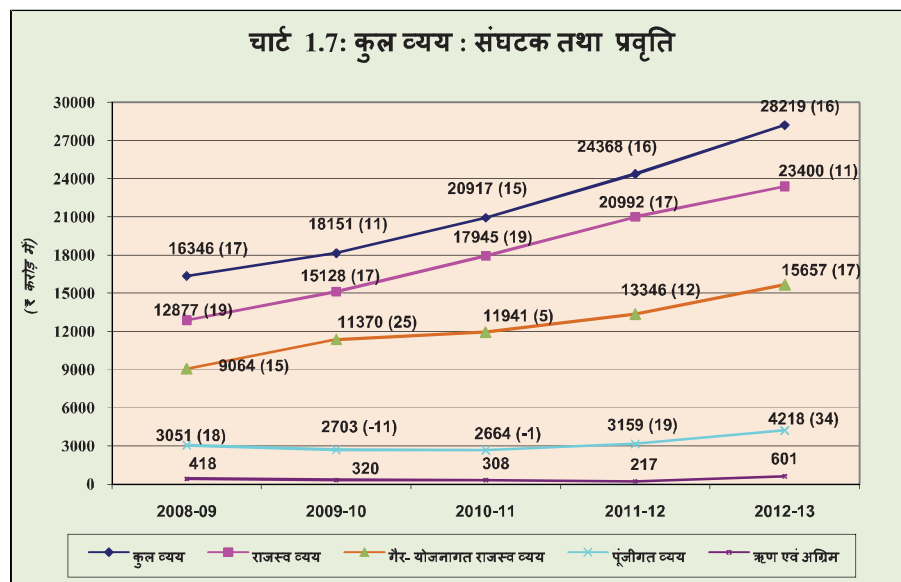
लोक लेखा प्राप्तियों में जमा तथा अग्रिम वर्ष 2011-12 के ₹ 5236 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 8706 करोड़ हो गया जिसका मुख्य कारण राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधि में ₹ 1005 करोड़ की महत्वपूर्ण वृद्धि तथा बाजार ऋण में ₹ 2346 करोड़ का निक्षेप था। वर्ष 2008-13 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों का सी.ए.जी.आर. 14.8 प्रतिशत था।

1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के प्रावधानों का विश्लेषण उल्लेखनीय महत्व रखता है क्योंकि उन्हें वृहत व्यय करने का कार्यभार सौंपा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अन्तर्गत, घाटे और उधार द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय के बढ़ाने में बजटीय बाध्यता होती है। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चल रहे राजकोषीय शुद्धि और समेकन प्रक्रिया लागत व्यय, विशेषकर सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिये निर्देशित व्यय पर नहीं है।

1.6.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.7 विगत पाँच वर्षों (वर्ष 2008-13) के दौरान कुल व्यय तथा इसके संघटकों को दर्शाता है।



- विगत पाँच वर्षों से कुल व्यय का सी.ए.जी.आर. वृद्धि दर 14.60 प्रतिशत थी। वर्ष 2012-13 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय की वृद्धि दर 16 प्रतिशत थी।
- कुल व्यय में से, राजस्व व्यय 83 प्रतिशत जबकि पूँजीगत व्यय 15 प्रतिशत था। संवितरित ऋण एवं अग्रिम कुल व्यय का केवल दो प्रतिशत था।
- वर्ष 2012-13 के दौरान गैर-योजना व्यय एवं योजना व्यय कुल व्यय का क्रमशः 56 प्रतिशत तथा 44 प्रतिशत था। यह वर्ष 2011-12 के दौरान क्रमशः 55 प्रतिशत तथा 45 प्रतिशत था। गैर-योजना व्यय में ₹ 2356 करोड़ तथा योजना व्यय में ₹ 1495 करोड़ की वृद्धि के कारण कुल व्यय में ₹ 3851 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.6.1.1 पूँजीगत व्यय

- वर्ष 2012-13 के दौरान पूँजीगत व्यय वर्ष 2011-12 के ₹ 3159 करोड़ से बढ़कर ₹ 4218 करोड़ हो गया। पूँजीगत व्यय का बजट वर्ष 2011-12 के ₹ 6353 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 6857 करोड़ हो गया। कुल व्यय से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2011-12 के 13 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 15 प्रतिशत हो गयी। स.रा.घ.उ. से पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2011-12 के 2.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2012-13 में 2.7 प्रतिशत रही।
- शिक्षा क्षेत्र में पूँजीगत व्यय वर्ष 2011-12 के ₹ 75.98 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 90.76 करोड़ हो गया। तथापि, पूँजीगत व्यय वर्ष 2012-13 के बजटीय राशि ₹ 133.60 करोड़ से काफी कम था।
- जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय वर्ष 2011-12 के ₹ 422.61 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 487.43 करोड़

हो गया। जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास के लिए वर्ष का बजट ₹ 1035.20 करोड़ था।

1.6.2 राजस्व व्यय (आर.ई.)

राजस्व व्यय वर्ष 2011-12 के कुल व्यय के 86 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2012-13 में कुल व्यय का 83 प्रतिशत रहा। राजस्व व्यय वर्ष 2008-09 के ₹ 12,877 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 23,400 करोड़ (82 प्रतिशत की वृद्धि) हो गया। इस अवधि के दौरान राजस्व व्यय का सी.ए.जी.आर. 16.1 प्रतिशत था।

वर्ष 2012-13 में राजस्व व्यय स.रा.घ.उ. का 15 प्रतिशत था। स.रा.घ.उ. के साथ राजस्व व्यय की उत्प्लावकता वर्ष 2011-12 के 1.45 से घटकर वर्ष 2012-13 में 1.00 हो गया, क्योंकि राजस्व व्यय का वृद्धि दर वर्ष 2011-12 के 17 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 11 प्रतिशत हो गयी जबकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर लगभग बराबर रही।

1.6.2.1 योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.)

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 11,254 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.) ₹ 7743 करोड़ था। योजना राजस्व व्यय में वर्ष 2011-12 के ₹ 7646 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में ₹ 7743 करोड़ की अत्यल्प वृद्धि हुई। कुल राजस्व व्यय में योजना राजस्व व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 के 36 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 33 प्रतिशत हो गयी। योजना राजस्व व्यय में स्थिरता सामान्य सेवाओं (₹ 224 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं (परिवहन में ₹ 168 करोड़) में कमी के साथ सामाजिक सेवाओं में (₹ 511 करोड़) वृद्धि के कारण थी। वर्ष 2008-13 दौरान योजना राजस्व व्यय का सी.ए.जी.आर. 19.4 प्रतिशत था।

1.6.2.2 गैर-योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.)

वर्ष 2012-13 में ₹ 15433 करोड़ के ते.वि.आ. की सिफारिश तथा ₹ 16547 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध गैर-योजना राजस्व व्यय ₹ 15657 करोड़ था। पिछले वर्ष की अपेक्षा गैर-योजना राजस्व व्यय वर्ष 2011-12 के 12 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 17 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2008-13 के दौरान कुल राजस्व व्यय से गैर-योजना राजस्व व्यय का प्रतिशतता 64 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच चलायमान रही। वर्ष 2012-13 के दौरान गैर-योजना राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का 67 प्रतिशत रहा। राज्य के गैर-योजना राजस्व व्यय का सी.ए.जी.आर. वर्ष 2008-13 के दौरान 14.6 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2012-13 के दौरान सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत गैर-योजना राजस्व व्यय मुख्यतः शिक्षा (₹ 2863.69 करोड़) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 550.74

करोड़), समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 302.54 करोड़) तथा जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास व शहरी विकास (₹ 282.19 करोड़) पर किया गया। आर्थिक सेवाओं के तहत गैर-योजना राजस्व व्यय मुख्यतः ऊर्जा (₹ 1102.15 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 691.42 करोड़), कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप (₹ 611.03 करोड़) तथा परिवहन (₹ 380.73 करोड़) पर किया गया।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार का प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन एवं सब्सिडी पर व्यय शामिल है। तालिका 1.14 तथा चार्ट 1.8 वर्ष 2008-13 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

तालिका 1.14: वेतन और मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ब्याज भुगतान पर व्यय के अवयव

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					बजट आकलन#	वास्तविक
वेतन* और मजदूरी, जिसमें	3948(30)	5342(35)	5642(30)	6352(28)	8288	6446(26)
गैर योजना शीर्ष	3801(29)	5154(34)	5434(29)	6150(27)	7773	6270(25)
योजना शीर्ष	147(1)	188(1)	208(1)	202(1)	515	176(1)
ब्याज भुगतान	1887(14)	2307(15)	2228(12)	2267(10)	2435	2391(10)
पेंशन पर व्यय	988(7)	1681(11)	2081(11)	2297(10)	2228	2931(12)
सब्सिडी	37(0.3)	41(0.3)	80	286(2)	₹	270(1)
कुल	6860 (52)	9371(62)	10031(53)	11202(50)	12951	12054(49)

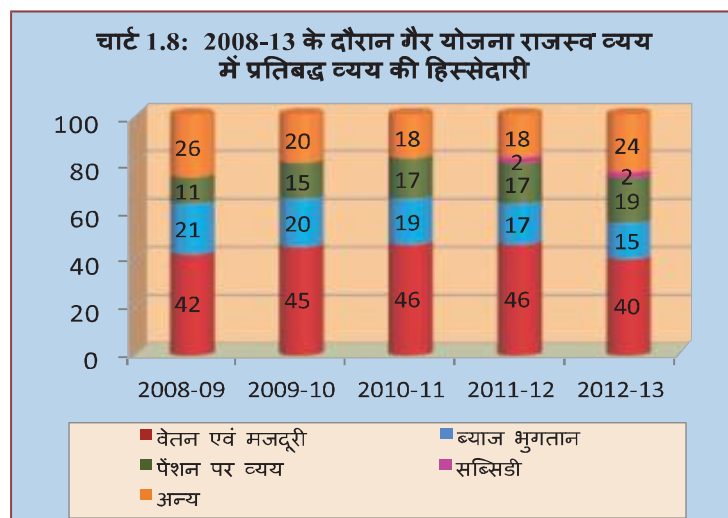
(स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे)

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

* इसमें सहायता अनुदान से वेतन भुगतान सम्मिलित है।

बजट अनुमान के सकल आँकड़ें जबकि वास्तविक के शुद्ध आँकड़ें हैं।

₹ बजट उपलब्ध नहीं है।



वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 के दौरान गैर-योजना राजस्व व्यय के सापेक्ष सब्सिडी की प्रतिशतता लगभग नगण्य रही।

वर्ष 2012-13 के दौरान वेतन एवं मजदूरी (₹ 6446 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 2391 करोड़) और पेंशन (₹ 3961 करोड़) और पेंशन (₹ 2931 करोड़) सम्मिलित रूप से राजस्व व्यय का 50 प्रतिशत लेखापित था तथा राजस्व प्राप्तियों का 48 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 के दौरान वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर कुल गैर-योजना व्यय सम्मिलित रूप से गैर-योजना राजस्व व्यय का 74 प्रतिशत लेखापित था।

- वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर राजस्व व्यय का 28 प्रतिशत से 35 प्रतिशत व्यय किया गया। राजस्व व्यय से वेतन एवं मजदूरी का प्रतिशतता वर्ष 2011-12 के 30 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 28 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार राजस्व प्राप्तियों से वेतन एवं मजदूरी का प्रतिशतता भी वर्ष 2011-12 के 28 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 26 प्रतिशत हो गयी। वेतन एवं मजदूरी का सी.ए.जी.आर. वर्ष 2008-13 के दौरान 13 प्रतिशत था।
- वर्ष 2012-13 के दौरान गैर-योजना शीर्ष के अन्तर्गत वेतन पर व्यय (₹ 6270 करोड़) में पिछले वर्ष के सापेक्ष ₹ 120 करोड़ की वृद्धि हुई। तथापि, उक्त व्यय ते.वि.आ. के मानक अनुमान (₹ 5401 करोड़) से ₹ 869 करोड़ अधिक रहा।

पेंशन

- पेंशन पर व्यय 31.2 प्रतिशत के सी.ए.जी.आर. से बढ़कर वर्ष 2008-09 के ₹ 988 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में ₹ 2931 करोड़ हो गया। वर्ष 2012-13 के दौरान वृद्धि दर भी पिछले वर्ष के सापेक्ष 28 प्रतिशत था। इससे वर्ष 2012-13 का बजट अनुमान (₹ 2228 करोड़) ₹ 703 करोड़ (32 प्रतिशत) तक अधिक हो गया।
- भविष्य में पेंशन तथा पेंशनरी लाभ के बोझ को कम करने के लिए राज्य ने 01 जनवरी 2004 से अंशदायी पेंशन योजना को अपनाया है। राज्य ने नयी पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के साथ 20 मार्च 2009 को एक करार किया।

ब्याज भुगतान

- ते.वि.आ. के ₹ 3017 करोड़ के मानक प्रक्षेपण के विरुद्ध वर्ष 2012-13 के दौरान ब्याज भुगतान ₹ 2391 करोड़ रहा। पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज भुगतान की वृद्धि दर पाँच प्रतिशत थी। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में, ब्याज भुगतान वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 के दौरान 10 प्रतिशत ही थी। वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य द्वारा भुगतान किये गये ब्याज का सी.ए.जी.आर. 6.1 प्रतिशत था।

- वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 के दौरान ब्याज भुगतान के मुख्य घटक तालिका 1.15 में दिए गये हैं:

तालिका 1.15: ब्याज भुगतान के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

भुगतान किया गया ब्याज	2011-12	औसत ब्याज दर	2012-13	औसत ब्याज दर
आंतरिक ऋण	1941.20	8.94	2013.33	8.50
भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम	165.81	7.23	185.95	8.18
लघु बचत भविष्य निधि	157.76	10.58	186.23	12.09
कुल	2264.77	8.88	2390.51	8.67

सब्सिडी

- वर्ष 2012-13 के दौरान झारखण्ड सरकार ने ₹ 270 करोड़³ का भुगतान सब्सिडी के रूप में शीर्ष 2401-फसल उत्पादन (₹ 178.24 करोड़), 2404-डेयरी विकास (₹ 20.44 करोड़) तथा शीर्ष 2852-उद्योग (₹ 56.37 करोड़) के अन्तर्गत किया जो विशेष रूप से सब्सिडी हेतु उप-शीर्ष के अधीन दर्ज किए गये थे। वर्ष 2011-12 के ₹ 286 करोड़ की सब्सिडी के सापेक्ष वर्ष 2012-13 के दौरान सब्सिडी की राशि ₹ 270 करोड़ थी।
- वर्ष 2012-13 के वित्त लेखे के परिशिष्ट-III के अनुसार, खाद्य, ऊर्जा एवं सिंचाई हेतु कोई सब्सिडी नहीं दी गई।
- सब्सिडी न केवल प्रत्यक्ष रूप से अपितु लोगों को सब्सिडी वाली लोक सेवा प्रदान करने हेतु परोक्ष रूप से भी दी जाती है। वर्ष 2012-13 के लेखाओं की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि विद्यार्थियों को साइकिल वितरण के लिए दिए गये ₹ आठ करोड़ (अनुदान सं. 58) में से ₹ 3.17 करोड़ का ही इस्तेमाल किया गया। पुनः जे.एस.इ.बी. को उसके संसाधन अंतर को पाटने हेतु सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1000 करोड़ की राशि प्रदान की गई।

1.6.4 मुख्य कार्यक्रम

राज्य में सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत कई फलैगशिप योजनाएँ कार्यान्वित हुई, जिसके लिए बजट में राज्य योजना (एस.पी.) तथा केन्द्रीय योजना (सी.पी.) के तहत निधियाँ प्रदान की गई। वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य योजना के अन्तर्गत ₹ 17,089 करोड़ का बजट बनाया गया, जिसमें से ₹ 11,279 करोड़ का उपयोग किया गया जबकि केन्द्रीय योजना हेतु किये गये बजट ₹ 2516.35 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1158.92 करोड़ का उपयोग किया गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर राज्य योजना तथा केन्द्र योजना के

³ वित्त लेखे के परिशिष्ट-III

अन्तर्गत हुए वास्तविक व्यय तथा बजट प्रावधान को तालिका 1.16 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.16 मुख्य कार्यक्रमों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	बजट प्रावधान	व्यय
राज्य योजना			
1.	मुख्य सड़कें	1117.23	1006.26
2.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क	382.49	356.49
3.	मुख्यमंत्री कन्यादान सहायता योजना	488.51	458.21
4.	स्वर्ण रेखा परियोजना	348.82	319.13
केन्द्रीय योजना			
1.	प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम	914.61	593.83
2.	समन्वित शिशु विकास कार्यक्रम	323.94	300.52
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	183.85	184.71

मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) पर कम व्यय होने के कारण प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम पर व्यय (₹ 593.93 करोड़), बजट आकलन ₹ 914.61 करोड़ की तुलना में बहुत ही कम था।

स्वर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना : यह परियोजना वर्ष 1973 में शुरू हुई तथा इसे वर्ष 1987-88 तक पूर्ण किया जाना था। परियोजना की प्रारंभिक लागत ₹ 90 करोड़ थी, जिसे पाँचवें संशोधन के पश्चात् ₹ 4540 करोड़ की लागत से वर्ष 2009-10 में पूरा करने हेतु लक्षित किया गया। परियोजना को त्वरित सिंचाई कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया तथा ₹ 6613.74 करोड़ की अनुमानित राशि के साथ वर्ष 2013-14 तक इसको पूर्ण करने हेतु पुनर्निधारित किया गया। परियोजना का उद्देश्य राज्य के 236846 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के अतिरिक्त प्रदेश के आदिवासी जनसंख्या को लाभ देने के क्रम में औद्योगिक एवं घरेलू उद्देश्यों हेतु 825 मिलियन घन मीटर जलापूर्ति उपलब्ध कराना था।

वर्ष 2012-13 के वित्त लेखे के अनुसार राज्य योजना, विश्व बैंक सहायता, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के माध्यम से परियोजना हेतु राशियाँ उपलब्ध कराई गयी तथा 31 मार्च 2013 तक इस योजना पर कुल ₹ 1276 करोड़ का व्यय किया गया।

25 वर्ष समाप्त होने तथा ₹ 1278 करोड़ की राशि व्यय होने के पश्चात् भी 31 मार्च 2013 तक परियोजना अपूर्ण ही थी।

1.6.5 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

पिछले तीन वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वर्ष 2012-13 के दौरान अनुदान एवं ऋण के रूप में सहायता की प्रमात्रा तालिका 1.17 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.17 : स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पंचायती राज्य संस्थाएं (पी.आर.आई.)		875.69	581.06	485.85
शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.)	485.14	246.15	25.34	182.43
सार्वजनिक उपक्रम	602.64	491.55	777.00	शून्य
स्वायत्त निकाय	678.31	607.55	677.85	208.26
गैर-सरकारी संस्थाएं	17.87	192.43	209.68	शून्य
अन्य	548.98	708.34	2259.30	550.71 ⁴
कुल	2332.94	3121.71	4530.23	1427.25
राजस्व व्यय, प्रतिशत के रूप में	15.42	17.31	21.58	6.09

स्रोत: वित्त लेख के विवरणी 8।

स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता वर्ष 2009-10 के ₹ 2332.94 करोड़ से घटकर वर्ष 2012-13 में ₹ 1427.25 हो गयी। ते.वि.आ. ने पी.आर.आई. तथा यू.एल.बी. के लिए क्रमशः ₹ 1516.60 करोड़ तथा ₹ 425.80 करोड़ की अनुशंसा की थी। उपरोक्त तालिका में दिखायी गई पी.आर.आई. तथा यू.एल.बी. को सहायता राशि में संबंधित विभागीय व्यय लेखा शीर्ष के अधीन लघु शीर्ष 191, 192, 193, 196, 197 तथा 198 के अन्तर्गत पंचायती राज्य संस्थाएं तथा शहरी स्थानीय निकायों को प्रदत्त (₹ 727 करोड़) की सहायता राशि शामिल नहीं है। वर्ष 2009-13 के दौरान सहायता राशि की वृद्धि दर (-) 68 प्रतिशत से 34 प्रतिशत के बीच चलायमान रही।

1.6.6 स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रणाली

स्थानीय शहरी निकाय (यू.एल.बी.)

74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) में उन शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन के निर्माण को परिकल्पित किया गया जहाँ नगरपालिकाओं को शासन के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तदनुसार 18 कार्यो यथा- नगर योजना, भू-प्रयोग विनियमन, जल-आपूर्ति इत्यादि स्थानीय निकायों के नामे किया जाना था। पुनः ग्यारहवें वित्त आयोग (इ.एफ.सी.) की सिफारिशों के अनुसार, स्थानीय निकायों के लिए निधि लघु-शीर्षों 191-नगर निगमों को अनुदान, 192-नगर पालिकाओं/परिषदों

⁴ उपायुक्तों को समन्वित क्रिया योजना (आई.ए.पी.) (₹ 510.00 करोड़), (ii) सहकारी संघों (₹147.07 करोड़), उप-सचिव, परिवहन (₹ 486.70 करोड़) तथा प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास (₹ 255.81 करोड़) को कम वित्तीय अनुदान के कारण कमी

को अनुदान और 193-नगर पंचायतों को अनुदान के अधीन आवंटित किए जाने हैं। राज्य सरकार ने **परिशिष्ट 1.6** में इंगित सभी 18 कार्यों को समाविष्ट करते हुए फरवरी 2012 में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 को अधिनियमित किया। अभी राज्य में 39 यू.एल.बी. (नगर निगम-3, नगरपरिषद-14, नगर पंचायत-19, नगरपालिका-1 तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति-2) है।

तालिका 1.18 से देखा जा सकता है कि झारखण्ड सरकार ने वर्ष 2008-13 के दौरान यू.एल.बी. को कुल ₹ 1674 करोड़ के अनुदानों का भुगतान किया। तथापि, वर्ष 2009-13 के दौरान अनुदानों का विमोचन कम था। मल व्यवस्था, जल निकास, जल आपूर्ति, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का निर्माण, नागरिक सुविधाओं, भवन निर्माण, भू-अधिग्रहण इत्यादि हेतु सहायता राशि में कम विमोचन के कारण वर्ष 2011-12 में सहायता राशि घटकर ₹ 25 करोड़ हो गयी। यू.एल.बी. को दी गई निधियों का विस्तृत विवरण निम्नवत है:

तालिका 1.18: स्थानीय शहरी निकायों को उपलब्ध निधियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	13213	15118	18781	22420	24770	94302
राज्य का राजस्व व्यय (रा. व्यय)	12877	15128	17945	20992	23400	90342
स्थानीय शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	736	485	246	25	182	1674
राजस्व प्राप्तियों में वित्तीय सहायता का प्रतिशत	5.58	3.21	1.31	0.11	0.73	1.78
राजस्व व्यय में वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	5.72	3.21	1.37	0.12	0.78	1.85
स्वयं के संग्रह ⁵	-	-	3.23	18.84	शून्य	22.07

जनवरी 2009 में गठित द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने सितम्बर 2013 तक स्थानीय शहरी निकायों को राशि सौंपने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की थी। पुनः

⁵ अपने स्रोतों से स्थानीय शहरी निकायों द्वारा संग्रहित निधियों के संबंध में सूचना शहरी विकास विभाग को नहीं उपलब्ध कराये गये। तथापि, विभिन्न स्थानीय शहरी निकायों (वर्ष 2010-11 : नगर पंचायतें - वासुकीनाथ, चास, गुमला, खूँटी, सिमडेगा और नगरपालिका परिषद् लोहरदगा तथा वर्ष 2011-12 नगर पंचायतें - विश्रामपुर, चकुलिया, कोडरमा, राजमहल, नगरपालिका - जुगसलाई और रॉची नगर निगम) के लेखापरीक्षा के दौरान उद्भेदित हुआ कि इस अवधि के दौरान ₹ 22.07 करोड़ एकत्रित किए गए।

स्थानीय निकायों को कार्यों तथा निधियों के हस्तांतरण से संबंधित सूचना नगर विकास विभाग से माँगी गयी थी (सितम्बर 2012 एवं नवम्बर 2013)। उनका जवाब अभी तक अप्राप्त है (नवम्बर 2013)।

झारखण्ड में, राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों (स्थानीय शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं) के लेखापरीक्षा पर तकनीकी दिशानिर्देश तथा पर्यवेक्षण (टी.जी.एस.) का कार्यभार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अक्टूबर, 2011 में सौंपा है। तदनुसार, बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1925 को मार्च, 2012 में संशोधित किया गया जिसके तहत राज्य स्तर पर निदेशक-स्थानीय निधि (डी.एल.एफ.ए.) द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रदत्त तकनीकी दिशानिर्देश तथा पर्यवेक्षण में लेखापरीक्षा करने संबंधी प्रावधान अंतर्निहित है। राज्य सरकार ने डी.एल.एफ.ए. को कार्यशील बनाने के लिए 22 पदों का सृजन (मार्च 2013) किया परन्तु डी.एल.एफ.ए. को अभी तक परिचालित नहीं की गई है और परीक्षक-स्थानीय लेखा अप्रैल 2012 से तकनीकी दिशानिर्देश तथा पर्यवेक्षण व्यवस्था के अनुसार जाँच परीक्षा के आधार पर लेखापरीक्षा कर रहे हैं।

पंचायती राज संस्थाएँ

राज्य सरकार ने त्रि-स्तरीय पी.आर.आई. प्रणाली अर्थात् जिला स्तर पर जिला पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति व ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन के लिए 2001 में झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम पास किया। पी.आर.आई. को स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने हेतु नियम बनाये गये। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पी.आर.आई. को हस्तांतरित निधियों का वर्गीकरण, लघु-शीर्षों 196-जिला परिषद् को सहायता, 197-प्रखंड पंचायत को सहायता और 198-ग्राम पंचायत को सहायता के अधीन किया गया है।

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 के अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विमोचित निधियों का प्रयोग पंचायती राज संस्थानों द्वारा ग्रामीण जनता के नागरिक सुविधाओं के मद्दों से संबंधित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के निष्पादन पर खर्च किया जाना था। वर्तमान में राज्य में कुल 4706 पंचायती राज संस्थाएँ⁶ हैं। तालिका 1.19 के अनुसार, वर्ष 2009-10 तक सरकार ने पंचायती राज संस्थानों को कोई अनुदान नहीं दिया। वर्ष 2010-13 के दौरान, पंचायती राज संस्थानों को कुल ₹ 1943 करोड़ का भुगतान किया गया जो निम्नवत है:

⁶ 24 जिला परिषद, 259 पंचायत समिति, 4423 ग्राम पंचायत

तालिका 1.19 पंचायती राज संस्थानों को उपलब्ध निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	13213	15118	18781	22420	24770	94302
राज्य का राजस्व व्यय (रा.व्यय)	12877	15128	17945	20992	23400	90342
पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता*	-	-	876	581	486	1943
आर.आर. से वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	-	-	4.66	2.59	1.96	2.06
आर.ई. से वित्तीय सहायता की प्रतिशतता	-	-	4.88	2.77	2.08	2.15
स्वयं संग्रह **	-	-	-	-	-	-

*पी.आर.आई. का चुनाव दिसम्बर 2010 में हुआ था।

**राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा नहीं की गई है।

जनवरी 2009 में गठित द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने सितम्बर 2013 तक पंचायती राज संस्थानों को राशियाँ सौंपने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थानों (अनुदानों/कार्यक्रम निधियों के अलावे) के राजस्व स्रोतों की पहचान नहीं की है, क्योंकि पंचायती राज संस्थानों द्वारा अधिरोपित की जाने वाली करों, पथ करों तथा शुल्कों आदि की दर को निर्धारित व अधिसूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2013)।

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार ने 'झारखण्ड पंचायती राज (बजट एवं लेखे) विनियमन 2012' अधिसूचित किया (मार्च 2011) तथा तदनुसार पंचायती राज संस्थानों का लेखांकन किया जाता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा डी.एल.एफ.ए. की नियुक्ति सुनिश्चित नहीं होने के कारण पंचायती राज संस्थानों की लेखापरीक्षा अभी तक ई.एल.ए. द्वारा की जाती है (नवम्बर 2013)।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के मुख्यतः तीन पहलू यथा-पर्याप्तता (अर्थात् सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिए लागत-परिणाम का मूल्यांकन) सम्मिलित हैं।

राज्य के कुल व्यय की वृद्धि दर पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2011-12 में 16.5 प्रतिशत एवं वर्ष 2012-13 के दौरान 15.8 प्रतिशत था।

वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय में विकास व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय) 63 प्रतिशत था, जबकि गैर-विकास व्यय 37 प्रतिशत था।

वर्ष 2012-13 के दौरान विकास व्यय की वृद्धि दर पिछले वर्ष के सापेक्ष 12 प्रतिशत था, जबकि गैर-विकास व्यय में पिछले वर्ष के सापेक्ष 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को सौंपे गये सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित व्यय का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य का विषय है। इस प्रकार, राज्य में मानवीय विकास का स्तर बढ़ाने के क्रम में, मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय श्रेणी से व्यय का अनुपात) किसी विशेष क्षेत्र से संलग्न की जाती है यदि यह अपने क्रम के सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम है।

वर्ष 2009-10 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2012-13 के दौरान विकासोन्मुखी व्यय, सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय और पूँजीगत व्यय के संदर्भ में तालिका 1.20 राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता को विश्लेषित करता है।

तालिका 1.20: वर्ष 2009-10 और वर्ष 2012-13 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता *	ए.ई./ स.रा.घ.उ.	डी.ई./# ए.ई.	एस.एस.ई./ ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ्य / ए.ई.
अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2009-10	17.06	66.05	35.73	14.96	16.19	4.24
झारखण्ड का औसत (अनुपात) 2009-10	18.03	62.22	35.75	14.89	18.01	3.77
अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2012-13	15.93	65.79	32.77	13.23	17.23	4.47
झारखण्ड का औसत (अनुपात) 2012-13	17.99	68.49	33.15	14.95	15.95	3.39

* स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में

ए.ई.: सकल व्यय (कुल व्यय), डी.ई.: विकास पर व्यय

एस.एस.ई.: सामाजिक क्षेत्र पर व्यय, सी.ई.: पूँजीगत व्यय

विकास पर व्यय में विकास पर राजस्व व्यय, विकास पर पूँजीगत व्यय और ऋण एवं संवितरित अग्रिम सम्मिलित है।

स्रोत: स.रा.घ.उ. के के आँकड़े राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा दिये गये हैं।

सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2012-13 में झारखण्ड सरकार ने सकल व्यय पर अपने स.रा.घ.उ. का एक बड़ा भाग खर्च किया।

झारखण्ड में सकल व्यय के एक भाग के रूप में पूँजीगत व्यय के साथ-साथ विकास पर व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत की तुलना में वर्ष 2009-10 में कम रहा जबकि वर्ष 2012-13 के दौरान झारखण्ड द्वारा इस मद में सामान्य श्रेणी के राज्यों तुलना में अधिक खर्च किया गया।

वर्ष 2012-13 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में राज्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र को कम प्राथमिकता दी गयी। इन क्षेत्रों में व्यय वर्ष 2009-10 में इसके अपने सकल व्यय के अनुपात की तुलना में कम हो गया है।

1.7.2 व्यय के इस्तेमाल की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर लोक व्यय के महत्व को देखते हुए, राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि सही व्यय हेतु बुद्धिसंगत मापदंड को अपनाया जाय और कोर पब्लिक गुड्स⁷ के प्रावधान पर जोर दिया जाय। विकास व्यय⁸ हेतु आबटन के अलावा कुल व्यय (और/या स.रा.घ.उ.) का पूँजीगत व्यय से अनुपात और विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर हो रहे समानुपातिक राजस्व व्यय के उपयोग की दक्षता भी प्रतिबिम्बित होती है। इन अवयवों का कुल व्यय से अनुपात जितना ऊँचा होगा व्यय की प्रकृति उतनी बेहतर होगी।

तालिका 1.21 वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के कुल व्यय के तुलना में विकास योजनाओं की प्रवृत्ति के साथ-साथ पिछले वर्षों के दौरान बजटीय राशि और व्यय को प्रस्तुत करता है।

⁷ कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं इस रूप में कि एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल गुड्स दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल गुड्स में कमी नहीं करता हो जैसे:- कानून और आदेश का प्रवर्तन, हमारे अधिकार बचाव एवं सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय गुड्स और पथ के लिए आधारभूत संरचना इत्यादि। मेरिट गुड्स वे सामग्री हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा लोगों को मुफ्त या कम दर पर उपलब्ध कराया जाता है क्योंकि व्यक्ति या समाज के पास ये सामग्री आवश्यकता, योग्यता और सरकार को भुगतान करने की इच्छा के आधार पर होनी चाहिए और उनके उपयोग को बढ़ाने की इच्छुक हों, इन सामग्रियों के उदाहरण हैं, पोषण हेतु गरीबों को कम दर पर खाद्यान्न का प्रावधान, जीवन स्तर सुधारने और मृत्यु दर कम करने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन, सभी को आधारभूत शिक्षा का प्रावधान, पेयजल और स्वच्छ इत्यादि ।

⁸ व्यय आँकड़ों का विश्लेषण विकास और गैर विकास व्यय में समुच्चयित है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय, ऋण एवं अग्रिम से संबंधित सभी व्यय को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किए गए हैं। हमारे आँकड़ों में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासात्मक व्यय में शामिल हैं जबकि सामान्य सेवाएँ गैर विकासात्मक व्यय हैं।

तालिका 1.21: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास पर व्यय के घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					बजट आकलन*	वास्तविक
विकास व्यय (अ से स)						
अ. विकास पर राजस्व व्यय	7918 (48)	8523(47)	10954(52)	13146(54)	19244	14704(52)
ब. विकास पर पूँजीगत व्यय	2875(18)	2591(14)	2544(12)	3003(12)	6548	4042(14)
स. विकास से संबंधित ऋण एवं अग्रिम	411 (3)	308(2)	296(1)	199(1)	704	582(2)
कुल	11204	11422	13794	16348	26496	19328
कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय (रा.व्यय+पू. व्यय+ऋण एवं अग्रिम) से प्रतिशतता को दर्शाते हैं।						
* बजट आकलन का सकल आँकड़े है जबकि वास्तविक का निवल आँकड़ा है।						

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे तथा बजट प्रकाशन

- राज्य के विकास व्यय में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय शामिल है। पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2012-13 के दौरान विकास व्यय की वृद्धि दर 18.23 प्रतिशत थी।
- उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि वर्ष 2012-13 के दौरान कुल विकास व्यय बजट आकलन से काफी कम था। सामान्य सेवाओं (गैर-विकास) पर व्यय इस वर्ष के ₹ 8890 करोड़ के बजट के सापेक्ष ₹ 8892 करोड़ हुआ।
- वर्ष 2008-13 के दौरान कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय की हिस्सेदारी 47 प्रतिशत एवं 54 प्रतिशत के बीच थी। वर्ष 2008-13 के दौरान विकास राजस्व व्यय का सी.ए.जी. आर. 16.7 प्रतिशत था।
- कुल व्यय में विकासात्मक पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिम सहित) की हिस्सेदारी वर्ष 2008-09 के 21 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 प्रत्येक में 13 प्रतिशत हो गयी। फिर भी, इसमें वर्ष 2012-13 के दौरान 16 प्रतिशत से बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2008-13 के दौरान विकासात्मक पूँजीगत व्यय का सी.ए.जी.आर. 8.4 प्रतिशत था।
- वर्ष 2012-13 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर व्यय (₹ 9357 करोड़) एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय (₹ 9971 करोड़) का हिस्सा कुल विकास व्यय (₹ 19,328 करोड़) का क्रमशः 48 प्रतिशत एवं 52 प्रतिशत था।

चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में किया गया व्यय

तालिका 1.22 चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर हुए पूँजीगत व्यय के ब्यौरे तथा व्यय के घटकों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.22: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक ढाँचा	2011-12			2012-13		
	टी.ई. से सी.ई. का अनुपात	आर. ई. में, हिस्सा एस. और डब्ल्यू	ओ. और एम. *	टी.ई. से सी.ई. का अनुपात	आर. ई. में, हिस्सा एस. और डब्ल्यू	ओ. और एम.
सामाजिक सेवार्य (एस. एस.)						
सामान्य शिक्षा	0.45	54.43	0.00	0.86	47.35	0.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	16.57	54.96	0.10	15.38	57.50	0.02
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं एच.यू.डी.	48.12	25.80	2.43	43.14	19.16	3.66
कुल (एस.एस.)	10.75	40.91	0.29	11.03	34.49	0.35
आर्थिक सेवार्य (ई.एस.)						
कृषि एवं सहबद्ध कार्यकलाप	7.10	30.99	0.38	1.59	32.92	0.03
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	58.59	98.23	0.00	67.78	97.76	0.00
विद्युत और ऊर्जा	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
परिवहन	49.08	10.72	11.41	67.43	12.83	35.41
कुल (ई. एस.)	28.40	17.05	2.92	32.02	16.34	3.24
कुल (एस.एस.+ ई. एस.)	19.59	30.28	3.21	23.93	26.60	1.60
टी.ई.: उस क्षेत्र का कुल व्यय; सी.ई.: पूँजीगत व्यय; आर. ई.: राजस्व व्यय; एस. और डब्ल्यू: वेतन एवं मजदूरी; ओ.और एम.: संचालन और रख-रखाव; वित्त लेखों के अनुसार यह विस्तृत शीर्ष 05- रखरखाव एवं मरम्मत के अन्तर्गत वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करता है।						

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

- कुल विकासात्मक व्यय की प्रतिशतता के रूप में विकासात्मक पूँजीगत व्यय वर्ष 2011-12 के 19.59 प्रतिशत से उल्लेखनीय वृद्धि के साथ वर्ष 2012-13 में 23.93 प्रतिशत हो गया।
- सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं में वेतन घटक वर्ष 2011-12 के 40.91 प्रतिशत एवं 17.05 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में क्रमशः 34.49 प्रतिशत एवं 16.34 प्रतिशत हो गया।
- वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार ने विस्तृत शीर्ष '05-सार्वजनिक सम्पत्ति के रख-रखाव के लिए अनुरक्षण एवं मरम्मत के अन्तर्गत ₹ 408.83 करोड़ का व्यय किया।

- जलापूर्ति स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास पर अधिक व्यय के कारण समाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में प्रचालन एवं अनुरक्षण की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 के 0.29 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 0.35 प्रतिशत हो गयी।
- सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास एवं जल संसाधन पर हुए व्यय में वृद्धि के कारण आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में प्रचालन एवं अनुरक्षण की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 के 2.92 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 3.24 प्रतिशत हो गयी।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

एफ.आर.बी.एम के उत्तरवर्ती रूप रेखा में, राज्य से न ही केवल राजकोषीय घाटे (और उधार) को निम्न स्तर पर रखने बल्कि इसके पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋण एवं अग्रिम सहित) की आवश्यकता को भी पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता में बदलाव के राज्य सरकार को अपने निवेश पर अधिक आय के लिए और अस्पष्ट सब्सिडी के रूप में बजट पर प्रभारित करने की अपेक्षा उधारित निधि की लागत को वसूल करने के लिए मानक अपनाने की आवश्यकता है और वित्तीय संचालन में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। यह खण्ड पिछले वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान निवेश और सरकार द्वारा किये गये अन्य पूँजीगत व्यय के व्यापक वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

1.8.1 पूर्ण सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों को वित्त लेखे के परिशिष्ट-IX (i) में प्रस्तुत किया गया है। वित्त लेखे 2012-13 के परिशिष्ट-IX के अनुसार राज्य में कोई व्यावसायिक सिंचाई परियोजना नहीं है।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

मार्च 2013 तक या उससे पहले पूर्ण होने वाले अपूर्ण परियोजनाओं पर बाधित निधि व्यय पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। मार्च 2013 तक कुल 189 पूँजीगत कार्य, प्रत्येक 10 लाख से अधिक लागत वाले, अपूर्ण थे। इन योजनाओं में कुल ₹ 1972.03 करोड़ बाधित थी। 31 मार्च 2013 तक अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना तालिका 1.23 में दिया गया है।

तालिका 1.23 : अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं* की सं.	आरंभिक अनुमानित लागत	चालू वर्ष के दौरान व्यय	31.3.2013 का समुच्चयित कुल व्यय
पथ निर्माण विभाग	134	137.68	22.69	628.05
पेयजल एवं स्वच्छता	11	611.48	24.57	290.35
जल संसाधन	14	1028.82	267.77	884.74
भवन निर्माण	30	131.52	24.55	168.89
कुल	189	1909.50	339.58	1972.03

* ₹ 10 लाख से अधिक की लागत वाली योजनाएँ

स्रोत : वित्त लेख के परिशिष्ट x

अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या मार्च 2012 में 182 के सापेक्ष वर्ष 2012-13 के अंत तक 189 थी।

तालिका 1.23 में दिए गए अपूर्ण परियोजनाओं के पूर्ण होने की लक्षित तिथि जून 2000 से मार्च 2013 के बीच थी। अधिकांश परियोजनाओं के पूर्ण करने की पुनरीक्षित तिथियाँ सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गईं। उपरोक्त अपूर्ण परियोजनाओं के लिए अनुमानित राशि (मूल) ₹ 1909.50 करोड़ थी जिसके विरुद्ध मार्च 2013 के अंत तक प्रोग्रेसिव व्यय ₹ 1972.03 करोड़ था। वर्ष 2012-13 के दौरान इन परियोजनाओं पर किया गया कुल व्यय ₹ 339.58 करोड़ था।

1.8.3 निवेश एवं वापसी

नवम्बर 2000 में राज्य की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2013 तक सरकार ने एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹ 45.73 करोड़), 11 सरकारी कम्पनियाँ⁹ (₹ 31.55 करोड़) एवं 17 सहकारी, कॉरपोरेशन एवं समितियों में (₹ 110.54 करोड़) कुल ₹ 187.82 करोड़ का निवेश किया (तालिका 1.24)। निवेश से वापसी (लाभांश) वर्ष 2011-12 के ₹ 1.17 करोड़ (0.64 प्रतिशत) के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में ₹ 15 करोड़ (7.99 प्रतिशत) हुआ। तथापि, सरकार ने वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 के दौरान 7.42 प्रतिशत से 8.76 प्रतिशत के औसत दर से ब्याज का भुगतान किया।

तालिका 1.24: निवेशों पर लाभांश

निवेश/वापसी/उधार की लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	112.47	128.73	135.18	182.57	187.82
लाभांश (₹ करोड़ में)	शून्य	शून्य	0.40	1.17	15.00
लाभांश (प्रतिशत में)	शून्य	शून्य	0.3	0.64	7.99
सरकारी उधार पर ब्याज का औसत दर (प्रतिशत में)	7.42	8.03	7.98	7.64	8.76
ब्याज दर और लाभ में अन्तर (प्रतिशत में)	7.42	8.03	7.68	7.00	0.77

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेख - विवरण 14

⁹ सरकारी कम्पनियों के संबंध में किये गये निवेशों, संग्रहित लाभ/हानि इत्यादि का विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (लोक उपक्रम) वर्ष 2012-13 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2012-13 के दौरान सरकारी कम्पनियाँ (₹ 2.50 करोड़) एवं समेकित सहकारी विकास परियोजनाओं (₹ 2.75 करोड़) में केवल ₹ 5.25 करोड़ (तीन प्रतिशत) का निवेश किया गया। तथापि, वर्ष 2012-13 के दौरान निवेश पर लाभान्वित 7.99 प्रतिशत था।

पुनः 14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार राज्य द्वारा इन संस्थाओं के साथ साथ सांविधिक निगमों और संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में किये गये निवेशों को बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया गया था।

1.8.4 सार्वजनिक निजी साझेदारी (सा.नि.सा.) परियोजनाओं में निवेश

सार्वजनिक निजी साझेदारी (सा.नि.सा.) सरकार को सार्वजनिक लाभ के लिए निजी क्षेत्रों के संसाधनों एवं दक्षताओं का लाभ उठाने की अनुमति देता है। यह व्यवसायिक तौर पर एक नियत समयावधि के लिए सार्वजनिक उद्देश्य से आधारभूत संरचना के सृजन और/अथवा प्रबंधन हेतु निजी क्षेत्र के निकाय (एक सांविधिक निकाय जिसमें 51 प्रतिशत या अधिक का इक्विटी निजी साझेदारी/साझेदारों के पास होता है) और सार्वजनिक क्षेत्र के निकाय के बीच एक साझेदारी होती है और जिसमें निजी साझेदारों को पारदर्शी एवं खुली प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित किया जाता है।

सड़क निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित पाँच सा.नि.सा. परियोजनाओं की लेखापरीक्षा के दौरान संग्रहित सूचनाएँ तालिका 1.25 में दी गयी हैं:

तालिका 1.25: सार्वजनिक -निजी साझेदारी परियोजनाएँ

योजना	अनुबंध की तिथि	प्रारंभ होने की तिथि	समाप्त होने की निधारित तिथि	वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि	वार्षिकी प्रारंभ होने की तिथि	कुल योजना लागत (₹ करोड़ में)	वार्षिक भुगतान की जाने वाली वार्षिकी * (₹ करोड़ में)
राँची रिंग रोड (सेक्टर III, IV, V और VI)	25.09.09	25.03.10	21.09.12	21.09.12	22.03.13	620.10	117.82
राँची पतरातू बाँध रोड	14.10.09	13.04.10	12.10.12	12.10.12	12.04.13	263.86	50.13
पतरातू बाँध रामगढ़ रोड	14.10.09	13.04.10	31.12.13	आरंभ नहीं	30.06.14	326.84	62.10
चाईबासा कान्द्रा चौक रोड	28.05.11	27.11.11	26.05.14	आरंभ नहीं	26.11.14	432.99	82.27
आदित्यपुर कान्द्रा रोड	06.08.11	02.02.12	31.01.13	31.01.13	31.07.13	241.15	45.82
कुल						1884.94	358.14

* परियोजना के समाप्त होने के पश्चात् 15 वर्षों तक वार्षिकी का भुगतान किया जाना है।

चुँकि, सड़क निर्माण विभाग द्वारा संविदा प्रावधान के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि को परियोजनाओं के अनंतिम रूप से पूर्ण होने की तिथि माना गया, इससे राँची रिंग रोड

(रा.रि. रो.) को अनंतिम रूप से पूर्ण हुआ मान लिया गया जिसके लिए वर्ष 2012-13 में ₹ 55.65 करोड़ का वार्षिकी भुगतान किया गया।

1.8.5 राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों और कम्पनियों में निवेश के अलावे, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती रही है। 31 मार्च 2013 तक बकाए ऋण एवं अग्रिम तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज प्राप्ति के साथ-साथ ब्याज भुगतान को तालिका 1.26 प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.26 : राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

अग्रिम / ब्याज प्राप्ति / उधार की लागतों की प्रमात्रा	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ऋणों का आरंभिक शेष (₹ करोड़ में)	6016	6415	6713	6997	7190
वर्ष के दौरान अग्रिम की गई राशि (₹ करोड़ में)	418	320	308	217	601
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतित राशि (₹ करोड़ में)	19	22	24	24	43
बकाया ऋण एवं अग्रिम का प्रतिशत के रूप में पुनर्भुगतान	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6
अंतशेष	6415	6713	6997	7190	7748
निवल योग (₹ करोड़ में)	399	298	284	193	558
ब्याज प्रप्तियों (₹ करोड़ में)	0.48	7.64	7.26	2.12	0.95
बकाया ऋण एवं अग्रिम की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्ति	*	0.12	0.12	*	0.01

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

* नगण्य

- राज्य सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं, कम्पनियों इत्यादि को अग्रिम के रूप में दी गई ऋणों की प्रमात्रा वर्ष 2008-09 के ₹ 418 करोड़ से धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2011-12 में ₹ 217 करोड़ हो गयी जो पुनः वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹ 601 करोड़ हो गयी। वर्ष 2012-13 के दौरान ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि मुख्यतः बिजली (शक्ति) परियोजनाओं के अन्तर्गत हुआ (₹ 376.75 करोड़)।
- वर्ष 2012-13 के दौरान झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को ₹ 541.70 करोड़ का ऋण दिया गया जिसमें से ₹ 58.89 करोड़ संचरण के लिए ₹ 17.27 करोड़ त्वरित शक्ति विकास परियोजना के लिए एवं ₹ 120.00 करोड़ वार्षिक विकास कार्यक्रम के लिये दिया गया।
- वर्ष 2012-13 के दौरान बकाया ऋण एवं अग्रिम में पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च 2013 के अंत तक प्रमुख बकाया राशि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 7125 करोड़) एवं शहरी स्थानीय निकाय (₹ 545 करोड़) के पास था।

- 31 मार्च 2013 तक कुल ₹ 1112.44 करोड़ (₹ 341.28 करोड़ मूलधन एवं ₹ 771.16 करोड़ का ब्याज) के ऋण एवं अग्रिम की वसूली किया जाना शेष था। वर्ष 2012-13 के दौरान ऋण एवं अग्रिम की शेष बकाया राशि ₹ 77.94 करोड़ थी जिसमें ₹ 32.05 करोड़ मूलधन के रूप में तथा ₹ 45.89 करोड़ ब्याज के रूप में था।

1.8.6 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों का विवरण तालिका 1.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.27: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2012 को	31 मार्च 2013 को
रोकड़ शेष	116.85	704.75*
रोकड़ शेष से निवेश (अ से स)	4.41	746.57
अ. भारत सरकार के कोषागार विपत्र	शून्य	742.16
ब. भारत सरकार की प्रतिभूति	शून्य	शून्य
स. अन्य निवेश	4.41	4.41
निवेशों पर प्राप्त ब्याज	42.02	71.27
रिजर्व बैंक में जमा	93.85	(-)56.50
विभागीय रोकड़ शेष	18.59	14.68

*31 मार्च 2013 तक भा. रि. बैं. के पास ऋणात्मक शेष होने के कारण रोकड़ शेष निवेश से कम था।

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

पिछले वर्ष के ₹ 116.85 करोड़ के रोकड़ शेष के सापेक्ष 31 मार्च 2013 के अंत तक राज्य का रोकड़ शेष ₹ 704.75 करोड़ था।

मार्च 2012 के अंत में ₹ 4.41 करोड़ के रोकड़ शेष निवेश के सापेक्ष मार्च 2013 के अंत में सरकार के पास रोकड़ शेष निवेश ₹ 746.57 करोड़ था। ₹ 746.57 करोड़ के कुल रोकड़ शेष निवेश में से वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 742.16 करोड़ का निवेश भारत सरकार के कोषागार विपत्र में किया गया।

महालेखाकार (लेखा एवं ह.), झारखण्ड द्वारा 31 मार्च 2013 तक का लेखा जोखा करने पर भा.रि.बैं. के पास ₹ 56.50 करोड़ (क्रेडिट) का रोकड़ शेष उपलब्ध था। तथापि, भा.रि.बैं. द्वारा सूचित किया गया 31 मार्च 2013 तक का रोकड़ शेष ₹ 57.06 करोड़ (डेबिट) था। 31 मार्च 2013 को ₹ 0.56 करोड़ के अंतर का समाशोधन प्रक्रियाधीन था।

वर्ष 2012-13 के दौरान भा.रि.बैं. में न्यूनतम शेष बनाये रखने के लिए राज्य सरकार को दो दिनों के लिये विशेष अर्थोपाय अग्रिम एवं 11 दिनों के लिये सामान्य अर्थोपाय अग्रिम लेना पड़ा।

1.9 परिसम्पत्तियों एवं दायित्व

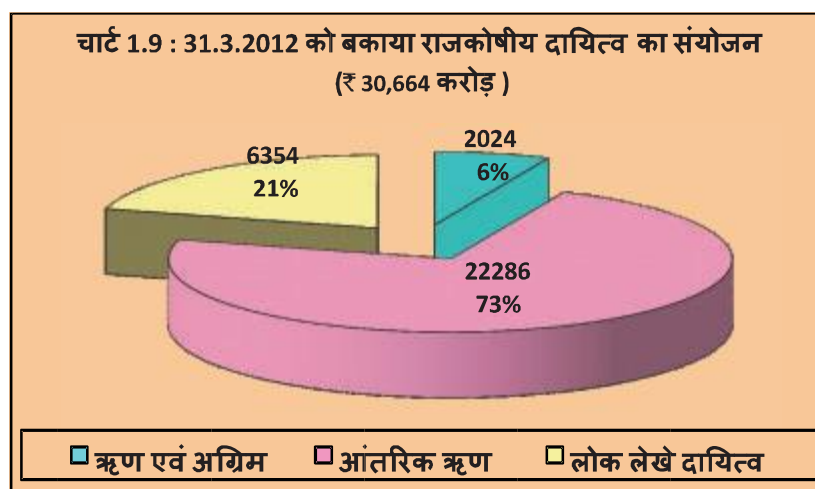
1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन

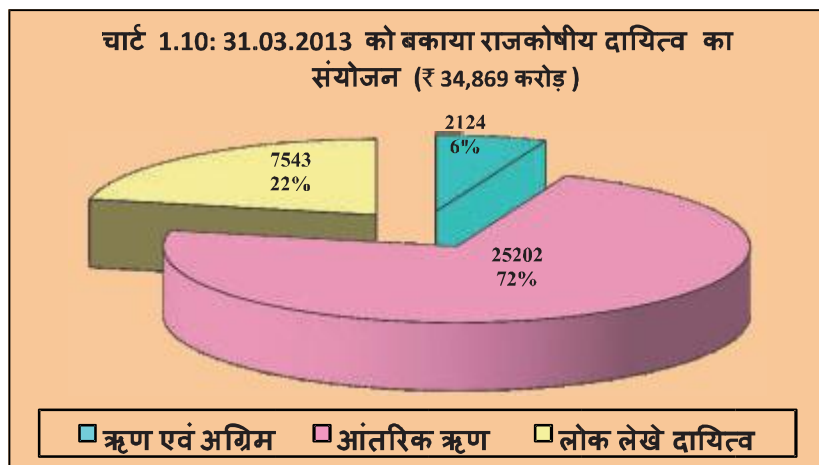
सरकारी लेखांकन की विद्यमान पद्धति में, सरकार द्वारा अधिकृत परिसम्पत्तियों अर्थात् भूमि एवं भवनों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों और व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को अभिगृहित करते हैं। **परिशिष्ट 1.4 भाग-बी** 31 मार्च 2013 को उन दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2012 की तदनुसूची स्थिति के साथ इनकी तुलना को प्रस्तुत करता है। दायित्वों में जहाँ मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से लिये गये ऋण एवं अग्रिम एवं लोक लेखे से प्राप्तियाँ एवं आरक्षित निधि शामिल है, वहीं परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 राज्य की संचित निधि और लोक लेखे जिसमें केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, अल्प बचत का लोक लेखा शेष, आरक्षित निधि, जमा इत्यादि सम्मिलित है, के अन्तर्गत दायित्वों के रूप में राज्य के कुल दायित्वों को परिभाषित करता है।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति **परिशिष्ट 1.3** में दर्शायी गई है। तथापि वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोषीय दायित्व के संघटन को क्रमशः **चार्ट 1.9** एवं **चार्ट 1.10** में प्रस्तुत किया गया है।





तालिका 1.28 : राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति: आधारभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

अवयव	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आंतरिक ऋण	17,568	19,880	21,131	22,286	25,202
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2404	2272	2167	2024	2124
लोक लेखे दायित्व	4112	5013	5357	6354	7543
कुल राजकोषीय दायित्व	24,084	27,165	28,655	30,664	34,869
कुल दायित्वों में वृद्धि	11.4	12.8	5.5	7.0	13.7
स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व	27.4	27.0	22.8	21.8	22.2

- जैसा कि तालिका 1.28 दर्शाया गया है, वर्ष 2008-09 के ₹ 24,084 करोड़ का समग्र राजकोषीय दायित्व (रा.दा.) 45 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2012-13 में ₹ 34,869 करोड़ हो गया। राजकोषीय दायित्व का वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2011-12 के सात प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में 14 प्रतिशत था। तथापि, वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान रा.दा. का सी.ए.जी.आर. 9.7 प्रतिशत था।
- राज्य के राजकोषीय दायित्व में ₹ 319.67 करोड़ का आरक्षित निधि (₹ 316.20 राज्य आपदा आरक्षित निधि के रूप में तथा ₹ 3.47 करोड़ सरकारी व्यावसायिक उपक्रमों/विभागों की सामान्य आरक्षित निधि के रूप में) शामिल था।
- स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व का अनुपात वर्ष 2008-09 के 27.4 प्रतिशत से धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2011-12 में 21.8 प्रतिशत हो गया। यह

अनुपात पुनः वर्ष 2012-13 में बढ़कर 22.2 प्रतिशत हो गया। तथापि, रा.दा./स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता ते.वि.आ. की सिफारिशों के 27.8 प्रतिशत से कम थी।

- बारहवें वित्त आयोग ने राज्य की संचित निधि और लोक लेखा के अलग सभी ऋणों की प्रतिपूर्ति हेतु एक मर्जित निधि, जिसमें बैंक ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) इत्यादि के दायित्व शामिल हैं, को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तथापि, सितम्बर 2013 तक ऐसे किसी निधि की स्थापना नहीं की गई।
- संयुक्त बिहार के राजकोषीय दायित्वों का बँटवारा बिहार और झारखण्ड के बीच अभी तक (सितम्बर 2013) नहीं किया गया।

1.9.3 आरक्षित निधि के अन्तर्गत लेन-देन

तेरहवें वित्त आयोग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 (I) एवं धारा 48 (I) (ए) के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के अन्त तक एक राज्य आपदा आरक्षित निधि (एस.डी.आर.एफ.) गठित करने की अनुशंसा की। इस योजना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एस.डी.आर.एफ. का गठन किया गया (2010-11) एवं आपदा राहत निधि की शेष राशि एस.डी.आर.एफ. में हस्तांतरित कर दी गयी एवं आपदा राहत निधि समाप्त हो गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान, एस.डी.आर.एफ. में 1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक शेष ₹ 440 करोड़ था। वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्तियाँ एवं संवितरण क्रमशः ₹ 280 करोड़ एवं ₹ 403 करोड़ था फलस्वरूप मार्च 2013 के अन्त में अंतिम शेष ₹ 317 करोड़ था।

1.9.4 प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

उधार प्राप्तकर्ता, जिसके लिये प्रत्याभूति विस्तृत है, द्वारा बकाया चुकता नहीं करने की स्थिति में प्रत्याभूति राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होता है।

भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि राज्य अपने विधायिका द्वारा अधिनियमित तथा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अन्तर्गत संचित निधि की अभिरक्षा पर भारत के संघीय क्षेत्र के अंतर्गत उधार ले सकते हैं और निर्धारित सीमा के अन्दर प्रत्याभूति दे सकता है। तथापि, झारखण्ड राज्य विधायिका द्वारा इस तरह का कोई कानून पारित नहीं किया गया और राज्य की संचित निधि की अभिरक्षा पर प्रत्याभूति देने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई।

वित्त लेखे के विवरण-9 के अनुसार झा.रा.वि.बोर्ड के विरुद्ध ₹ 157.15 करोड़ का बकाया प्रत्याभूति (गारंटी) था जिसमें से ₹ 77.78 करोड़ की प्रत्याभूति वर्ष 2012-13 के दौरान दी गई थी।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण की रूप रेखा

राज्य सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अलावे राज्य की ऋण धारणीयता¹⁰ को निर्धारित करने वाले विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण भी महत्वपूर्ण है। ऋण स्थिरीकरण¹¹, गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता¹², उधार लिए गये निधियों की निबल उपलब्धता¹³, ब्याज भुगतान का भार (के साथ राजस्व प्राप्ति अनुपात से ब्याज भुगतान द्वारा मापित) एवं राज्य सरकार के प्रत्याभूति की परिपक्वता की रूप रेखा के शब्दों में यह खण्ड राज्य सरकार के ऋण धारणीयता का मूल्यांकन करता है।

1.10.2 ऋण धारणीयता

तालिका 1.29 वर्ष 2008-09 से प्रारंभ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण धारणीयता को विश्लेषित करता है।

तालिका 1.29 : ऋण धारणीयता : संकेतक और प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा फैलाव + प्राथमिक घाटा) *	(-)2018	(+)647	(+)4753	(+)1509	(+)285
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल) *	(-)1171	103	899	188	(-)39
उधार निधि की निबल उपलब्धता	583	773	(-)737	(-)238	1814
ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात	27.4	27.0	22.8	21.8	22.2

¹⁰ समय की एक अवधि में एक नियत ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को बरकरार रखने की क्षमता ही ऋण धारणीयता है। यह इसके ऋण की सेवा की क्षमता के बारे में महत्व को प्रस्तुत करता है। इसलिए, ऋण धारणीयता चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन के लिए नगद परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधार की लागत एवं ऐसे उधार से लाभ के बीच संतुलन रखने की क्षमता से संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घटे में चढ़ाव ऋण की सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ मेल खाता है।

¹¹ स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर व्याज दर या लोक उधार लागत से बढ़ता है तो ऋण -स.रा.घ.उ. अनुपात के बढ़ने की संभावना होती है यदि प्राथमिक शेष या तो शून्य हो या धनात्मक हो या थोड़ा ऋणात्मक हो। दर फैलाव (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और प्रमात्रा फैलाव (ऋण * दर फैलाव) दिये होने पर, ऋण धारणीयता की शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा फैलाव शून्य है तो ऋण -स.रा.घ.उ. अनुपात नियत होगी या ऋण संभवतः सुदृढ़ होगी। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा फैलाव के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक है तो ऋण -स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ेगा और कभी-कभी यदि यह धनात्मक है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात संभवतः गिरेगा।

¹² बढ़ती हुई ब्याज दायित्वों और बढ़ती हुई प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य के बढ़ती हुई गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता उल्लेखनीय रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि बढ़ती गैर-ऋण प्राप्तियों बढ़ते हुए ब्याज दायित्व और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को निबटा सके।

¹³ कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और उधार निधि की निबल उपलब्धता को दर्शाने वाली ऋण विमोचन में उपयोगिता ऋण प्राप्तियों की विस्तार को इंगित करता है।

ऋण धारणीयता के संकेतक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ब्याज भुगतान का बोझ (आइ.पी./आर.आर. अनुपात)	14	15	12	10	10
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा (वर्षों में)					
0 - 1	775(4)	1183(5)	1868(8)	1449(6)	1381
1 - 3	2508(13)	2885(13)	2977(13)	3080(13)	3031
3 - 5	2829(14)	3263(15)	2872(12)	2623(11)	3358
5 - 7	2635(13)	2569(12)	3284(14)	4302(17)	5009
7 और आगे	11225(56)	12252(55)	12298(53)	12856(53)	14547
कुल	19972	22152	23299	24310	27326

कोष्ठक में कुल से प्रतिशतता को दिखाया गया है।

* फार्मूला परिशिष्ट 1.2 पार्ट-ए में है।

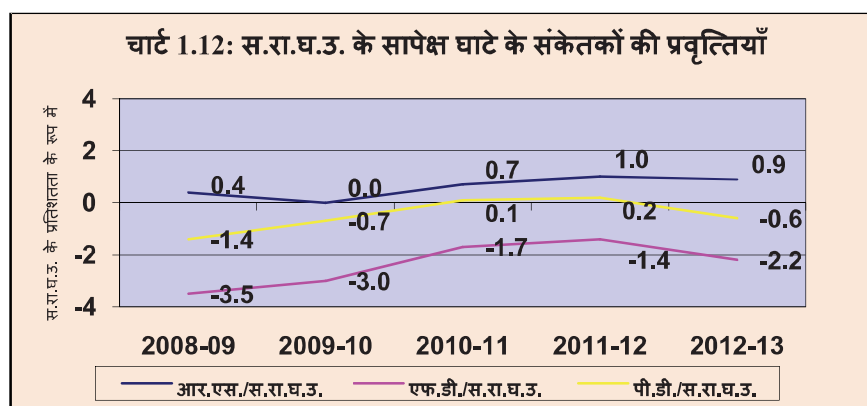
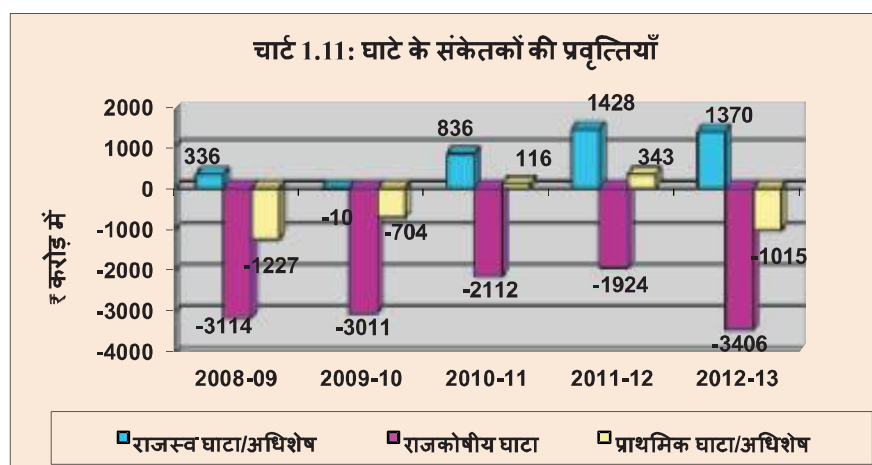
- जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, वर्ष 2008-09 के 4.6 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2009-10 में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर 14.6 प्रतिशत होने के कारण प्राथमिक घाटा के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार वर्ष 2008-09 में (-) ₹ 2018 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009-10 में ₹ 647 करोड़ हो गया। आगे, वर्ष 2010-11 के दौरान स.रा.घ.उ. का वृद्धि दर में 25 प्रतिशत का सुधार हुआ और प्राथमिक घाटा भी ₹ 116 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष में बदल गया जिससे ऋण संतुलन की स्थिति (प्र.वि+प्रा.धा.) ₹ 4753 करोड़ हो गई। तथापि, प्रमात्रा विस्तार के साथ प्राथमिक घाटा में वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 1509 करोड़ एवं ₹ 285 करोड़ की कमी हुई।
- वर्ष 2012-13 के दौरान, 22.2 प्रतिशत का एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य (25 प्रतिशत) एवं ते.वि.आ. द्वारा तय किये गये मानक (27.8 प्रतिशत) से कम था। वर्ष 2011-12 के ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात की (21.8 प्रतिशत) तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान यह आंशिक सुधार के साथ बढ़कर 22.2 प्रतिशत हो गया।
- वर्ष 2008-09 के (-) ₹ 1171 करोड़ का संसाधन अन्तराल वर्ष 2010-11 में बढ़कर ₹ 899 करोड़ हो गया जो सरकार के राजकोषीय स्थिति में सुधार का सूचक था। तथापि, भारी गिरावट के साथ यह वर्ष 2011-12 में ₹ 188 करोड़ एवं वर्ष 2012-13 में (-) ₹ 39 करोड़ हो गया।
- कर्ज ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता वर्ष 2008-09 के ₹ 583 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009-10 में ₹ 773 करोड़ हो गयी जो वर्ष 2010-11 में घटकर (-) ₹ 737 करोड़ एवं वर्ष 2011-12 में (-) ₹ 238 करोड़ हो गयी। तथापि, यह वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹ 1814 करोड़ हो गयी।
- राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान के अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया क्योंकि यह वर्ष 2009-10 के 15 प्रतिशत से स्थिरतापूर्वक घटकर वर्ष 2012-13 में 10 प्रतिशत हो गयी।
- राज्य-ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा दर्शाती है कि ऋण दायित्व प्रत्येक अवधि खंड के लिए बढ़ रही थी।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य वित्तीय पैमाने - राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा - किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा, प्राप्ति एवं व्यय के बीच अंतर को बतलाती है। घाटे की प्रकृति सरकार के वित्तीय प्रबंधन की बुद्धिमत्ता को इंगित करती है। आगे, घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही के प्रमुख तरीके भी इनके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तीय प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण व तरीके तथा राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और नियमों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को भी प्रस्तुत करती है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.11 एवं चार्ट 1.12, वर्ष 2008-13 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।



- केवल वर्ष 2009-10 के ₹ 10 करोड़ के राजस्व घाटे को छोड़कर, वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान राज्य के पास राजस्व अधिशेष था। तथापि राजस्व अधिशेष वर्ष 2011-12 में ₹ 1428 करोड़ से आंशिक रूप से घटकर वर्ष 2012-13 में ₹ 1370 करोड़ हो गया।
- राज्य ने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम एवं ते.वि.आ. द्वारा लक्षित 'शून्य' राजस्व घाटे को वर्ष 2008-09 के अन्त तक पूरा कर लिया था। तथापि, अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 32,426 करोड़) प्राप्त नहीं होने के कारण वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व अधिशेष से स.रा.घ.उ. का अनुपात एम.टी.एफ.पी. में दर्शाये गये लक्ष्य 3.32 प्रतिशत के सापेक्ष 0.87 प्रतिशत था।
- राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2008-09 में ₹ 3144 करोड़ से क्रमिक रूप से घटकर वर्ष 2011-12 में ₹ 1924 करोड़ हो गया, पुनः कम राजस्व प्राप्तियों के कारण वर्ष 2012-13 में यह बढ़कर ₹ 3406 करोड़ हो गया।
- स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता में सुधार दर्ज किया गया, क्योंकि यह मार्च 2009 के अंत तक 3.5 प्रतिशत से लगातार घटकर मार्च 2012 के अंत तक 1.4 प्रतिशत हो गया जो मार्च 2013 के अंत में क्रमिक रूप से बढ़कर 2.2 प्रतिशत हो गया। स.रा.घ.उ. से राजस्व घाटा की प्रतिशतता वर्ष 2012-13 के लिए एम.टी.एफ.पी. में दर्शाये गये 2.15 प्रतिशत के अनुमान के लगभग समतुल्य थी। तथापि, यह ते.वि.आ. के तीन प्रतिशत की सिफारिश के भीतर था।
- मुख्य रूप से राजस्व घाटा/अधिशेष में उतार-चढ़ाव के कारण वर्ष 2008-13 के दौरान प्राथमिक घाटा में काफी उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। प्राथमिक घाटा वर्ष 2008-09 के ₹ 1227 करोड़ से घटकर वर्ष 2009-10 में ₹ 704 करोड़ हो गया एवं वर्ष 2010-11 में यह ₹ 116 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष और वर्ष 2011-12 में ₹ 343 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में बदल गया जो पुनः वर्ष 2012-13 में ₹ 1015 करोड़ के प्राथमिक घाटे में बदल गया।
- वर्ष 2012-13 के एम.टी.एफ.पी. लक्ष्य 0.50 प्रतिशत के सापेक्ष प्राथमिक घाटा स.रा.घ.उ. का 0.65 प्रतिशत था।

1.11.2 वित्तीय घाटे के अवयव एवं इसकी वित्तीय प्रणाली

वित्तीय घाटे के वित्तीय प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है जैसा की तालिका 1.30 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.30: वित्तीय घाटे के अवयव एवं इसकी वित्तीय प्रणाली

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13		
	वित्तीय घाटे का बिखराव	3114	3011	2112	1924	3406		
1	राजस्व घाटा/अधिशेष	336	(-)10	836	1428	1370		
2	निवल पूँजीगत व्यय	3051	2703	2664	3159	4218		
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	399	298	284	193	558		
	राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रणाली*					प्राप्तियाँ	संवितरण	शुद्ध
1	बाजार उधार	1238	1674	198	785	3600	455	3145
2	भारत सरकार से ऋण	(-)136	(-)133	(-)104	(-)122	239	139	100
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रत्याभूति	54	670	957	(-)73	221	421	(-)200
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	418	(-)32	96	442	1139	1169	(-)30
5	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	200	273	104	70	668	646	22
6	आरक्षित निधि	(-)48	313	(-)223	(-)105	280	403	(-)123
7	जमा एवं अग्रिम	799	273	464	1030	8706	7416	1290
8	उचंत एवं विविध	208	132	(-)27	74	200	169	31
9	प्रेषण	(-)10	(-)39	6	(-)17	4643	4784	(-)141
10	अन्तर्राज्यीय समायोजन	(-)146	0	0	(-)76	शून्य	(-)100	(-)100
11	रोकड़ शेष वृद्धि(+)/कमी (-)	(-)537	120	(-)641	117	117	705	588

*ये सभी अंक वर्ष 2012-13 के दौरान सकल व्यय/बहिर्गमन हैं।

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 3406 करोड़ के राजकोषीय घाटे की प्रतिपूर्ति मुख्यतः बाजार उधार (₹ 3145 करोड़) एवं जमा और अग्रिम (₹ 1290 करोड़) से किया गया।

1.11.3 घाटा/अधिशेष के गुण

आदर्श स्वरूप में, राज्य के राजस्व प्राप्तियों को राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान के साथ) की भरपाई करना चाहिए। जहाँ राजस्व घाटे की भरपाई उधार (राजकोषीय घाटा) द्वारा की जाती है, वहाँ राजस्व आधिक्य को पूँजीगत व्यय के लिए प्रयोग किया जा सकता है ताकि उधार को घटाया जा सके। पुनः यदि गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय¹⁴ का वहन कर सके तो उधार द्वारा वित्तीयन के लिये प्राथमिक घाटा शेष नहीं बचेगा। अतएव, राज्य के वित्त की स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ बढ़ते प्राथमिक व्यय और बढ़ते ब्याज भुगतान के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। प्राथमिक घाटे का विभाजन इंगित करता है कि पूँजीगत व्यय में बढ़ोतरी के कारण किस सीमा तक घाटा हुआ है जो राज्य के अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार के लिए अपेक्षित है। तालिका 1.31 में घटकों का विभाजन दिया गया है

¹⁴ राजस्व, पूँजीगत और ऋण एवं अग्रिमों पर व्यय, लेकिन ब्याज भुगतान पर नहीं

तालिका 1.31: राज्य में प्राथमिक घाटे / अधिशेष - घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटे (-) /अधिशेष(+)	प्राथमिक घाटे (-) /अधिशेष(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2008-09	13232	10990	3051	418	14459	(+)2242	(-)1227
2009-10	15140	12821	2703	320	15844	(+)2319	(-)704
2010-11	18805	15717	2664	308	18689	(+)3088	(+)116
2011-12	22444	18725	3159	217	22101	(+)3719	(+)343
2012-13	24813	21009	4218	601	25828	(+)3804	(-)1015

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान राज्य के गैर ऋण- प्राप्तियाँ, प्राथमिक राजस्व व्यय एवं प्राथमिक व्यय में समतुल्य उच्च वृद्धि के सापेक्ष, ₹ 13232 करोड़ से बढ़कर ₹ 24813 करोड़ हो गया। वर्ष 2008-13 के दौरान पूँजीगत व्यय में उतार चढ़ाव आया।

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के गैर ऋण प्राप्तियाँ 11 प्रतिशत बढ़ी जबकि वर्ष 2012-13 के दौरान प्राथमिक व्यय 17 प्रतिशत बढ़ा फलस्वरूप वर्ष के दौरान प्राथमिक घाटा रहा।

1.12 झारखण्ड सरकार का बाजार उधार

1.12.1 परिचय

राजकोषीय घाटा वर्ष के दौरान सरकार द्वारा माँग को प्रस्तुत करता है। उधार के मुख्य प्रभाग केन्द्र सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम तथा राज्य सरकार के आंतरिक ऋण हैं। आंतरिक ऋण को बाजार ऋण एवं प्राकाम्य ऋण में विभाजित किया जाता है। बाजार उधार केन्द्र द्वारा नियंत्रित एवं भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। केन्द्र सरकार की सहमति के बिना राज्य सरकार कोई कर्ज नहीं ले सकती यदि वे केन्द्र सरकार से ऋणित हैं (अनुच्छेद 293)।

राज्य के राजकोषीय घाटे (उधार के बराबर) की उच्चतम सीमा की सिफारिश केन्द्रीय वित्त आयोग (भारत सरकार) द्वारा की जाती है। वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2010-11 के लिए यह सीमा स.रा.घ.उ. का 3.5 प्रतिशत, वर्ष 2009-10 के लिए स.रा.घ.उ. का चार प्रतिशत तथा वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के लिए स.रा.घ.उ. का तीन प्रतिशत था। उपरोक्त अनुसार, राज्य सरकार ने भी राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में समान सीमा निश्चित की। इस अधिनियम ने उधार का प्रयोग उत्पादक सम्पत्ति के सृजन के लिए किये जाने की अनुशंसा की।

वित्त आयोग (भारत सरकार) वार्षिक योजना को वित्त प्रदान करने एवं उधार की आवश्यकताओं को अनुमोदित करती है। सरकार राज्य बजट में बाजार ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों एवं अदायगी के लिए आकलन भी तैयार करती है। वर्ष 2008-13 के दौरान, राज्य सरकार ने भा.रि.बैंक द्वारा नीलामी के माध्यम से 10 वर्ष की अवधि वाले सभी बाजार ऋण को प्राप्त किया।

हमने वित्त विभाग के अभिलेखों की जाँच परीक्षा के माध्यम से मई से जून 2012 के दौरान झारखण्ड सरकार के बाजार उधार की समीक्षा, यह जाँचने के लिये कि क्या बाजार उधार की आवश्यकता का मूल्यांकन दक्षतापूर्वक किया गया है तथा क्या उधार माँगी गई धनराशि उत्पादक सम्पत्तियों के निर्माण हेतु प्रयोग किये गए हैं। 10 सितम्बर 2013 को सचिव, वित्त विभाग के साथ एक एकजिट कान्फ्रेंस की गई, जहाँ राज्य के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों एवं समग्र ऋण धारणीयता संकेतको पर परिचर्चा हुई।

1.12.2 झारखण्ड में बाजार उधार की स्थिति

वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 के दौरान ली गयी बाजार उधार की राशि एवं वर्ष के अंत तक बकाया राशि को तालिका 1.32 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.32: बाजार उधार की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	उगाहे गए बाजार ऋण	कुल	पुनर्भुगतित बाजार ऋण	अंत शेष	निवल वृद्धि(+)/ हास(-) (प्रतिशत)
2008-09	4735.75	1486.00	6221.75	248.26	5973.49	(+)1237.74 (26.14)
2009-10	5973.49	1843.98	7817.47	170.20	7647.27	(+)1673.78 (28.02)
2010-11	7647.27	500.00	8147.27	302.03	7845.24	(+)197.97 (2.59)
2011-12	7845.24	1254.05	9099.29	468.73	8630.56	(+)785.32 (10.01)
2012-13	8630.56	3600.00	12230.56	454.98	11775.58	(+)3145.02 (27.14)

स्रोत: 2008-13 के वित्त लेखे एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार।

1.12.3 ऋण धारणीयता संकेतक - बाजार ऋण के सापेक्ष कुल दायित्व

वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य में कुल दायित्व एवं लोक ऋण के सापेक्ष बाजार उधार की स्थिति तालिका 1.33 में दी गई है:

तालिका 1.33 : ऋण धारणीयता - कुल दायित्व के सापेक्ष बाजार ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वर्ष के अंत में कुल दायित्व	24084.00	27165.00	28655.00	30664.00	34869.00
कुल दायित्व का वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.4	12.8	5.5	7.00	13.7
कुल लोक ऋण (बकाये)	17568.15	19880.00	21131.39	22285.78	25201.58
लोक ऋण का वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.78	13.16	6.29	5.46	13.08

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल बाजार ऋण (बकाये)	5973.49	7647.27	7845.24	8630.56	11775.58
बाजार उधारी की वृद्धि	26.14	28.02	2.59	10.01	36.44
कुल दायित्व के सापेक्ष बाजार ऋण की प्रतिशतता	24.80	28.15	27.37	28.14	33.77
लोक ऋण के सापेक्ष बाजार ऋण की प्रतिशतता	34.00	38.47	37.12	38.72	46.73
बाजार ऋण पर भुगतित ब्याज	384.79	527.84	609.23	618.65	687.76
राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान का अनुपात	0.14	0.15	0.12	0.10	0.09
वित्तीय वर्ष के दौरान बाजार ऋण पर औसत ब्याज दर	7.42	8.27	8.28	8.96	8.79
ब्याज दर से स.रा.घ.उ. के वृद्धि दर का अनुपात	0.55	1.62	3.13	1.53	1.58
राजस्व अधिक्क / घाटा	(+) 336	(-) 10	(+) 836	(+) 1428	(+) 1370
राजकोषीय घाटा	(-) 3114	(-) 3011	(-) 2112	(-) 1924	(-) 3406
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता	3.5	2.90	1.68	1.37	2.17
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष कुल दायित्व की प्रतिशतता	27.43	27.00	22.77	21.82	22.24
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष लोक ऋण की प्रतिशतता	20.01	19.76	16.79	15.86	16.07
बकाये गारंटी	500.00	500.00	-	-	77.78
स.रा.घ.उ.	87794	100621	125824	140558	156781
स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत में)	4.6	14.6	25	11.7	11.5

स्रोत: 2008-13 के वित्त लेख एवं प्रतिवेदन, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार।

- स.रा.घ.उ. से कुल दायित्वों का प्रतिशत वर्ष 2008-09 में 27.43 प्रतिशत से उल्लेखनीय कमी के साथ वर्ष 2011-12 में 21.82 प्रतिशत हो गई और फिर 2012-13 में आंशिक रूप से बढ़कर 22.24 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार स.रा.घ.उ. के सापेक्ष कुल लोक ऋण की प्रतिशतता वर्ष 2008-09 के 20.01 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 16.07 प्रतिशत हो गई। इसके अनुपात में हास मुख्यतया पूर्ण अवधि में कुल दायित्व एवं लोक ऋण की तुलना में स.रा.घ.उ. में उच्चतर वृद्धि के कारण हुआ।
- कुल दायित्वों की तुलना में, बाजार ऋण वर्ष 2008-09 के 24.80 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 33.77 प्रतिशत हो गई, जबकि बाजार ऋण से कुल लोक ऋण का अनुपात वर्ष 2008-09 के 34.00 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 46.73 प्रतिशत हो गई। यह राज्य सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्तीयन के लिए बाजार उधार पर इसके अधिक विश्वास को इंगित करता है।
- स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता वर्ष 2011-12 के 1.37 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 2.17 प्रतिशत हो गई क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर में हास हुआ और वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोषीय घाटा में उच्च वृद्धि हुई।

- वर्ष 2008-13 की अवधि के दौरान बाजार उधार का औसत दर 7.42 प्रतिशत एवं 8.96 प्रतिशत के बीच रहा जो भारत सरकार के प्रतिभूति के ब्याज दर (14 दिनों के कोषागार विपत्र) की तुलना में उच्चतर था।
- ब्याज भुगतानों से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात वर्ष 2008-09 के 0.14 से क्रमिक रूप से घटकर 2012-13 में 0.09 हो गई जो राज्य के ऋण धारणीयता एवं संसाधनों में सुधार को इंगित करता है।

1.12.4 बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति

वर्ष 2013-23 की अवधि के लिए 31 मार्च 2013 तक लंबित बाजार ऋण परिपक्वता की प्रवृत्ति का वर्ष-वार स्थिति नीचे तालिका 1.34 में दी गई है:

तालिका 1.34 : बाजार ऋणों की परिपक्वता की प्रवृत्ति

परिपक्वता वर्ष	परिपक्वता राशि (₹ करोड़ में)	बकाया बाजार ऋण के प्रतिशत के रूप में
2013-14	415	3.52
2014-15	462	3.92
2015-16	594	5.04
2016-17	428	3.63
2017-18	1192	10.12
कुल (2013-18)	3091	26.25
2018-19	1486	12.62
2019-20	1844	15.66
2020-21	500	4.25
2021-22	1254	10.65
2022-23	3600	30.57
कुल (2018-23)	8684	73.75
कुल	11775	100.00

स्रोत : वित्त लेख 2012-13

उपरोक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट था कि वर्ष 2013-18 के दौरान बाजार ऋण का विमोचन-दायित्व बकाया बाजार ऋण के सापेक्ष ₹ 3091 करोड़ (26 प्रतिशत) होगा। तथापि, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक विमोचन-भार में वृद्धि होगी क्योंकि ₹ 8684 करोड़ (74 प्रतिशत) के बकाये बाजार ऋण का भुगतान राज्य द्वारा किया जाना है। हमने आगे पाया कि वर्ष 2008-10 के दौरान नवीन रूप से 10 वर्षीय ऋण लेने के कारण ₹ 523 करोड़ के बाजार ऋण का पुनर्भुगतान-भार बढ़ गया।

1.12.5 ब्याज दर की रूपरेखा

वर्ष 2008-13 के दौरान लिये गये बाजार ऋण पर ब्याज दर तालिका 1.35 में दी गई है।

तालिका 1.35: ब्याज दर की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर (प्रतिशत)	वर्ष के दौरान लिये गये बाजार ऋण					
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
5 से कम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5-5.99	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6-6.99	443.55	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	443.55
7-7.99	400.00	517.45	शून्य	शून्य	शून्य	917.45
8-8.99	642.45	1326.53	500.00	500.00	3100.00	6068.98
9-9.99	शून्य	शून्य	शून्य	754.05	500.00	1254.05
10-10.99	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	1486.00	1843.98	500.00	1254.05	3600.00	8684.03
वर्ष के दौरान उगाहे गये बाजार ऋण पर औसत ब्याज दर	7.42	8.27	8.28	8.96	8.79	

स्रोत: वर्ष 2008-13 के वित्त लेखे एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार।

उपरोक्त आँकड़ों से यह पाया गया कि वर्ष के दौरान लिये गए बाजार ऋण का औसत ब्याज दर वर्ष 2008-09 के 7.42 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 8.96 प्रतिशत हो गया एवं वर्ष 2012-13 के दौरान आंशिक रूप से घटकर 8.79 प्रतिशत हो गया।

1.12.6 पर्याप्त रोकड़ शेष की उपलब्धता के बावजूद बाजार ऋण की उगाही किया गया

तेरहवें वित्त आयोग ने सिफारिश किया कि अधिक रोकड़ शेष वाले राज्यों को नए उधार का अनुसरण करने से पहले वर्तमान रोकड़ शेष का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए तथा उधार का अनुसरण उपलब्धता के आधार के बजाय आवश्यकता के आधार पर होना चाहिए। आगे, राज्य मासिक/त्रैमासिक रोकड़ की आवश्यकता को केन्द्रीय लेखा अनुभाग (के.ले.अ.), नागपुर, भा.रि.बैं. द्वारा भेजे गए दैनिक रोकड़ शेष विवरणी के आधार पर आकलित करता है।

हमलोगों ने अवलोकन किया कि झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 के दौरान औसतन 8.08 प्रतिशत की ब्याज दर से पाँच बार कुल ₹ 2343.89 करोड़ का बाजार ऋण उधार लिया। राशि की नितांत आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 31 मार्च को छोड़कर सम्पूर्ण राशि संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत तक '14 दिनों का कोषागार विपत्र' के अंश के रूप में पड़ा रहा। हमलोगों ने अवलोकन किया कि राज्य के लिए आवश्यक न्यूनतम शेष ₹ 0.45 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2009-10 एवं

वर्ष 2010-11 की पूरी अवधि में न्यूनतम रोकड़ शेष (कोषागार विपत्र में निवेश) क्रमशः ₹ 696.54 करोड़ एवं ₹ 779.29 करोड़ था। इस प्रकार पर्याप्त रोकड़ शेष रहने के बावजूद भी सरकार ने वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में क्रमशः ₹ 1843.98 करोड़¹⁵ एवं ₹ 500 करोड़¹⁶ के बाजार ऋण की उगाही की।

सचिव, (वित्त विभाग) वि.वि. ने कहा (अक्टूबर 2013) कि उन वर्षों में रोकड़ की कमी के कारण बाजार उधार की आवश्यकता पड़ी। आगे, आहरण सम्पूर्ण त्रैमासिक या माह के लिए था जिसमें आहरित किया गया था, न कि उस दिन के लिये था जिस दिन आहरित किया गया। बाजार उधार का सहारा दैनिक आवश्यकता के आधार पर प्रतिदिन नहीं किया जा सकता है। जवाब सुसंगत नहीं था क्योंकि सरकार ने वर्ष 2009-10 के दौरान किसी भी समय रोकड़ की वास्तविक आवश्यकता से अत्यधिक ऋण लिया एवं वर्ष 2010-11 के दौरान ऋण की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी।

आगे, हमलोगों ने अवलोकन किया कि सरकार ने पाँच प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज अर्जित किया जबकि 8.08 प्रतिशत की उच्चतर ब्याज दर से बाजार ऋण लिया। फलस्वरूप, उस अवधि के लिए सरकार को 3.08 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से ₹ 51.22 करोड़ के ब्याज के दायित्व का निर्वहन करना पड़ा। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.7** में दिया गया है।

1.12.7 बाजार उधार के लिए अग्रिम सांकेतिक कैलेंडर

भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों से मुक्त बाजार उधार के लिए सांकेतिक कैलेंडर अपनाने की वकालत की थी (जून 2006) जिससे किसी वित्तीय वर्ष के आगामी तिमाही में राज्यों द्वारा मुक्त बाजार उधार की संभावित राशि एवं समय को पूर्व में ही जाना जा सके। झा.स. द्वारा इस पर सहमति (अगस्त 2006) दी गई। संवीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2008-13 के दौरान, वर्ष 2012-13 को छोड़कर, झारखण्ड सरकार ने राज्य के रोकड़ आवश्यकता के आधार पर मुक्त बाजार उधार के लिए अग्रिम सांकेतिक कैलेंडर नहीं तैयार किया। वर्ष 2012-13 में भी वास्तविक बाजार उधार प्रस्तावित अग्रिम सांकेतिक कैलेंडर से भिन्न था। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.8** में दिया गया है।

1.12.8 भा.स. द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक का उधार

संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा बाजार ऋण की उगाही से पहले भा.स. का अनुमोदन आवश्यक है। उधार का उपयोग ऋण के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए अर्थात् भा.स. द्वारा पूर्व में अनुमोदित वार्षिक योजना अंतराल को समर्थन प्रदान करना चाहिए।

¹⁵ 17.04.2009: ₹ 517 करोड़, 05.08.2009: ₹ 474 करोड़, 09.09.2009: ₹ 600 करोड़, एवं 30.10.2009: ₹ 252 करोड़

¹⁶ 12.05.2010: ₹ 500 करोड़

संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि भा.स. ने वर्ष 2008-09 के दौरान झा.स. को निधि प्राप्त करने हेतु पाँच चरणों में मुक्त बाजार से ₹ 1273 करोड़ उधार लेने की अनुमति प्रदान की थी। तथापि, अधिसूचना जारी कर राज्य द्वारा ₹ 1486 करोड़ (दिसम्बर 2008 से मार्च 2009 तक) के बाजार ऋण की उगाही की गई। हमलोगों ने अवलोकन किया कि ₹ 322 करोड़ के ऋण उगाही हेतु भा.स. के अनुमति (10 फरवरी 2009) के आधार पर झा.स. ने भा.रि.बैं. को ऋण की उगाही के लिए कहा (27 फरवरी 2009)। तथापि, झारखण्ड सरकार ₹ 538.53 करोड़ के ऋण उगाहने के भा.रि.बैं. की इच्छा (02 मार्च 2009) पर सहमत हुआ (04 मार्च 2009)। भा.रि.बैं. ने 12 मार्च 2009 को ₹ 535 करोड़ के ऋण की उगाही की। इस प्रकार, राज्य ने ₹ 213 करोड़ का अधिक बाजार ऋण प्राप्त किया जिस पर अनुच्छेद 293 (3) के अन्तर्गत भा.स. की सहमति नहीं थी।

जवाब में सचिव, वि.वि. ने कहा (अक्टूबर 2013) कि बाजार उधार की आवश्यकता वर्ष 2008-09 में रोकड़ की कमी के कारण पड़ी। जवाब सुसंगत नहीं था क्योंकि 1 फरवरी से 11 मार्च 2009 तक न्यूनतम रोकड़ शेष ₹ 2030 करोड़ था (राशि 12 मार्च 2009 को आहरित की गई)। इसके अतिरिक्त, 12 मार्च से 31 मार्च 2009 तक राज्य का न्यूनतम रोकड़ शेष ₹ 974.58 करोड़ था जो विनिर्दिष्ट किया कि भा.स. द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक उगाही गई बाजार ऋण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। यहाँ तक कि, मूल रूप से संस्वीकृत राशि ₹ 322 करोड़ के आहरण की भी आवश्यकता नहीं थी।

1.12.9 बाजार उधार की उपयोगिता की निगरानी प्रणाली

झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2007 उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए उधार के उपयोग को विहित किया। सरकार ने ऋणों के प्रत्येक वित्तांश के उद्देश्य वार्षिक योजना को समर्थन प्रदान करने के रूप में अधिसूचित किया। हमलोगों ने अवलोकन किया कि वि.वि. द्वारा उगाहे गए बाजार ऋणों की उपयोगिता के अनुवीक्षण के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं किया गया था। फलस्वरूप, अभीष्ट उद्देश्य के लिए बाजार ऋण की उपयोगिता/अनुप्रयोग को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। हमलोगों ने अवलोकन किया कि वर्ष 2008-13 में पूरी अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय (संवितरित ऋणों सहित) की राशि निवल उधार की राशि से अधिक थी। पूँजीगत व्यय का विस्तृत चर्चा उपरोक्त कंडिका 1.6.1.1 में पहले ही किया जा चुका है।

जवाब में, सचिव, वि.वि. ने कहा कि पूँजीगत व्यय बाजार उधार एवं जरूरत के आनुपातिक था। बाजार ऋण की उपयोगिता राज्य के पूँजीगत व्यय से सुनिश्चित किया जा सकता है जो बाजार ऋणों के तुलना में अधिक था।

वि.वि. का जवाब झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप नहीं था क्योंकि यह सुनिश्चित नहीं किया

जा सका कि क्या उत्पादक परिसम्पत्तियाँ सृजित की गईं एवं किन विकासात्मक योजनाओं का वित्तीय बाजार ऋणों से किया गया।

1.13 अनुपालन

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2009-10 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका 2.3.5 (पिछले वर्ष से संबंधित आधिक्य प्रावधान) पर चर्चा वर्ष 2011 एवं वर्ष 2012 में की थी। इसी प्रकार वर्ष 2010-11 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका 2.4.3 (बिना प्रावधान का व्यय), कंडिका 2.4.4 (पिछले वर्षों से संबंधित आधिक्य प्रावधान), कंडिका 2.4.5 (वर्ष 2010-11 के दौरान आधिक्य प्रावधान), कंडिका 2.4.9 (वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण) एवं कंडिका 2.5.2 (असमाशोधित व्यय) की चर्चा अक्टूबर 2012 में की गयी थी।

1.14 निष्कर्ष

राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

- वर्ष 2012-13 के दौरान स.रा.घ.उ. की वृद्धि उस वर्ष के ते.वि.आ. की अनुशंसा 14.5 प्रतिशत के विरुद्ध 11.5 प्रतिशत था।
- राज्य के पास वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 1370 करोड़ का राजस्व अधिशेष था। वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 3406 करोड़ बढ़ा। यह स.रा.घ.उ. का 2.2 प्रतिशत था, जो ते.वि.आ. द्वारा की गई अनुशंसा (तीन प्रतिशत) की सीमा के भीतर था।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का अंतरण

- राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से परे भा.स. से निधियों का सीधा अंतरण के कारण, वार्षिक लेखे राज्य के संसाधनों का सम्पूर्ण तस्वीर उपलब्ध नहीं कराती है।

राजकोषीय असंतुलन एवं संसाधनों के संचालन का प्रबंधन

- जहाँ राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 24,770 करोड़) वर्ष 2012-13 के दौरान पिछले वर्षों की अपेक्षा 10.5 प्रतिशत बढ़ी, वहीं यह बजट आकलन से कम (₹ 7656 करोड़ से) था।

पूँजीगत व्यय

- पूँजीगत व्यय (पू.व्य.) वर्ष 2011-12 में ₹ 3159 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में ₹ 4218 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष के सापेक्ष शिक्षा क्षेत्र में पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र में पू.व्य. में कमी आई। राज्य सरकार ने अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों को कम प्राथमिकता दिया है।

सरकारी निवेशों की समीक्षा

- वर्ष 2012-13 के दौरान सरकारी कम्पनियों, सहकारियों, बैंकों एवं समितियों इत्यादि में निवेश पर लाभांश कुल निवेश का 7.99 प्रतिशत रहा जो उधार ली गई राशि से कम (8.76 प्रतिशत) था।

राजकोषीय दायित्व

- राज्य का राजकोषीय दायित्व (₹34.869 करोड़) पिछले वर्ष से 14 प्रतिशत बढ़ा। राजकोषीय दायित्व, स.रा.घ.उ. का 22.2 प्रतिशत था जो ते.वि.आ. की अनुशंसा 28.7 प्रतिशत से बेहतर था। सरकार ने सभी ऋणों के परिशोधन के लिए मर्जित निधि (सिंकिंग फण्ड) का गठन नहीं किया है।

बाजार उधार

- कुल दायित्वों में बाजार ऋण की हिस्सेदारी वर्ष 2008-09 के 24.80 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 33.77 प्रतिशत हो गई। पर्याप्त रोकड़ रहने के बावजूद, राज्य सरकार ने रोकड़ की नितांत आवश्यकता का मूल्यांकन किए बिना ऋण की उगाही की। सरकार के पास विकासात्मक क्रियाकलाप के सृजन हेतु उधार ली गई राशि के उपयोग को सुनिश्चित करने का कोई तंत्र नहीं है।

1.15 अनुशंसाएँ

- सरकार मध्यकालीन राजकोषीय योजना में परियोजित अपने राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें।
- राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई राशियों के अनुप्रयोग के उचित लेखांकन एवं अनुवीक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।
- बेहतर लाभांश पाने के लिए सरकार को उच्च लागत वाली उधार ली गई निधियों को विवेकपूर्वक निवेश करना चाहिए।
- सरकार को ऋणों के परिशोधन के लिए मर्जित निधि का गठन करना चाहिए।
- मुक्त बाजार उधार उपलब्धता के बजाय आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। अधिशेष रोकड़ की उपयोगिता के बाद बाजार ऋण की उगाही की जानी चाहिए एवं उधार लिए गए निधियों का विकासात्मक क्रियाकलाप के सृजन में उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र का विकास किया जाय।